सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
2020-21

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

लेखे एक दृष्टि में

वर्ष 2020-21 के लिए

बिहार सरकार

प्रस्तावना

मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के **'लेखे एक दृष्टि में'**, को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 अधिकृत करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राज्य के खातों के संबंध में संसद द्वारा बनाये गये ऐसे किसी कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्ति का प्रयोग करेंगें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) 1971 का अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखे के संधारण के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों से लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए राज्य के लेखा संकलन के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य के वार्षिक लेखे, सौंपी गयी दायित्व के निर्वहन में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे तैयार किए गए हैं। वित्त लेखे तीन भागों में संकलित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदानवार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। हितधारकों- विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखा चित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी।

हमें आपकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होगी।

प्रवीण कुमार सिंह
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
बिहार, पटना

स्थान : पटना

दिनांक : 23 दिसम्बर 2021

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

दृष्टिकोण:

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।)

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और ससमय रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।

उद्देश्य:

(हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किये जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हितधारकों- विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

हमारे बुनियादी मूल्य :

(हमारे आंतरिक मूल्य हमारे समस्त कार्यकलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।)

- **स्वतंत्रता**
- **उद्देश्यता**
- **सत्यनिष्ठा**
- **विश्वसनीयता**
- **व्यवसायिक कुशलता**
- **पारदर्शिता**
- **सकारात्मक दृष्टिकोण**

विषय सूची

अध्याय-I	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	9
1.4	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	11
1.5	लेखे की विशेषताएँ	14
1.6	घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते हैं	15
अध्याय-II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	परिचय	18
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	18
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	20
2.4	राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता	22
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	23
2.6	विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति	24
2.7	सहायता अनुदान	24
2.8	लोक ऋण	25
अध्याय-III	**व्यय**	
3.1	परिचय	26
3.2	राजस्व व्यय	26
3.3	पूँजीगत व्यय	27
अध्याय-IV	**स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय**	
4.1	व्यय का संवितरण (2020-21)	29
4.2	स्कीम व्यय	29
4.3	स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय	30
4.4	वचनबद्ध व्यय	31
अध्याय-V	**विनियोग लेखे**	
5.1	वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे का सार	32
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	32
5.3	विशिष्ट बचतें	33

अध्याय-VI	**परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ**	
6.1	परिसंपत्तियाँ	37
6.2	ऋण तथा देयताएँ	37
6.3	गारंटियाँ	38
अध्याय-VII	**अन्य विषयें**	
7.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष	39
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	39
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	39
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	40
7.5	लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखा का प्रस्तुतीकरण	40
7.6	निवेश	41
7.7	अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की स्थिति	41
7.8	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र	42
7.9	सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र	43
7.10	व्यक्तिगत जमा खाता	44
7.11	लेखे का मिलान	46
7.12	उचन्त लेखे शेष	46
7.13	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर वचनबद्धता	47
7.14	भारत सरकार लेखांकन मानक (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन	47

अध्याय I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा आँकड़े का मिलान, वर्गीकरण, संकलन कर बिहार सरकार का लेखा तैयार करता है। यह संकलन, जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रमंडलों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित मासिक लेखे के रूप में प्राप्त प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है। 01.04.2019 से सीएफएमएस कायान्वयान के बाद लोक निर्माण तथा वन प्रमंडलों के लेखे को कोषागार लेखे में विलय कर दिया गया है। प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा मासिक सिविल लेखे बिहार सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। वर्ष के संकलन कार्य वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार होने पर समाप्त होते हैं। ये प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन रहते हैं जिसके पश्चात ये विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित किए जाते हैं।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:-

भाग-1 **समेकित निधि**	सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कर और करेत्तर राजस्व सहित, ऋण की उगाही और दिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित) समेकित निधि में शामिल हैं। सरकार के सभी खर्चे और संवितरण, ऋण का संवितरण और लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित)इस निधि से पूरित किये जाते हैं।

भाग-2 **आकस्मिक निधि**	आकस्मिक निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में किए गए व्यय जो विधायिका से अनुमोदन की प्रतीक्षा में है को पुरा करता है। ऐसा व्यय समेकित निधि से प्रतिपूरित होता है । बिहार सरकार के लिए इस निधि का अग्रदाय ₹350 करोड़ है।

भाग-3 **लोक लेखा**	लोक लेखा में ऋण से संबंधित लेनदेन (जो भाग 1 में सम्मिलित है उनके अलावे),'जमा', 'अग्रिम', 'प्रेषण' और 'उचंत' को दर्ज किये जायेंगे। ऋण और जमा सरकार की देय देनदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'अग्रिम' सरकार के प्राप्य हैं। 'प्रेषण और उचंत' लेनदेन समायोजन प्रविष्टियाँ हैं जिन्हे लेखे के अंतिम शीर्षों में प्रविष्टि के पश्चात अंतिम रूप से समायोजित माना जाना है।

1.2.2 लेखे का संकलन

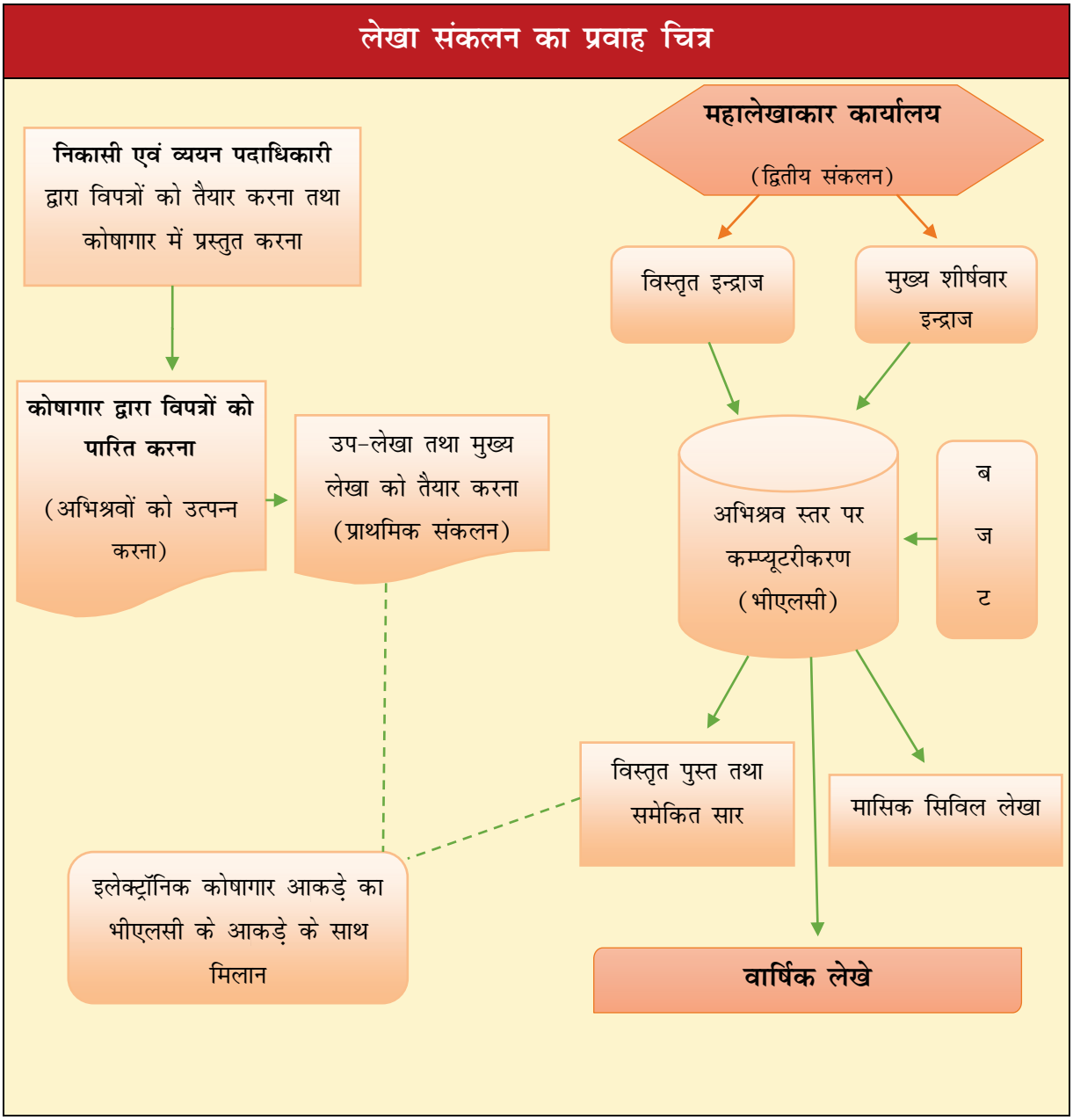
लेखा संकलन का प्रवाह चित्र
महालेखाकार कार्यालय
(द्वितीय संकलन)
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्रों को तैयार करना तथा कोषागार में प्रस्तुत करना
विस्तृत इन्द्राज
मुख्य शीर्षवार इन्द्राज
कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित करना
(अभिश्रवों को उत्पन्न करना)
उप-लेखा तथा मुख्य लेखा को तैयार करना (प्राथमिक संकलन)
अभिश्रव स्तर पर कम्प्यूटरीकरण (भीएलसी)
ब ज ट
विस्तृत पुस्त तथा समेकित सार
मासिक सिविल लेखा
इलेक्ट्रॉनिक कोषागार आकड़े का भीएलसी के आकड़े के साथ मिलान
वार्षिक लेखे

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के प्राप्तियों और संवितरणों का राजस्व और पूँजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम, लोक ऋण तथा लोक लेखे में दर्ज शेषों के साथ लेखे में प्रदर्शित करता है । वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनापरक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं । खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ (भाग-I) और परिशिष्टों (भाग-II) को रखा जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य की क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधि सीधे जारी की है । वर्ष 2020-21 में, भारत सरकार ने बिहार में क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹16,441 करोड़ (₹10,170 करोड़ पिछले वर्ष) सीधे जारी किये। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती है, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किया गया है।

निम्नलिखित विवरणी वर्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ बजट का विवरण प्रदान करता है।

	बजट अनुमान	वास्तविकी	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता (*)
	(₹ करोड़ में)			
1. कर राजस्व (केन्द्रीय अंशदान सहित)	1,25,931	90,203	72	15
2. करेतर राजस्व	5,239	6,201	118	1
3. सहायता अनुदान और अंशदान	52,754	31,764	60	5
4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,83,924	1,28,168	70	21
5. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	428	820	192	0
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. उधार एवं अन्य दायित्व	20,374	29,827	146	5
8. पूजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	20,802	30,647	147	5
9. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	2,04,726	1,58,815	78	26
10. राजस्व व्यय	1,64,751	1,39,493	85	23
11. ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	12,925	12,484	97	2
12. पूजीगत व्यय	38,745	18,209	47	3
13. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	1,230	1,113	90	0
14. कुल व्यय (10+12+13)	2,04,726	1,58,815	78	26
15. राजस्व अधिशेष/घाटा (4-10)	19,173	11,325	59	2
16. राजकोषीय घाटा (4+5-14)	20,374	29,827	146	5

* 2020-21 के लिए स०रा०घ०उ० ₹6,18,628 करोड़ था।

वर्ष 2020-21 में प्राप्तियाँ और व्यय

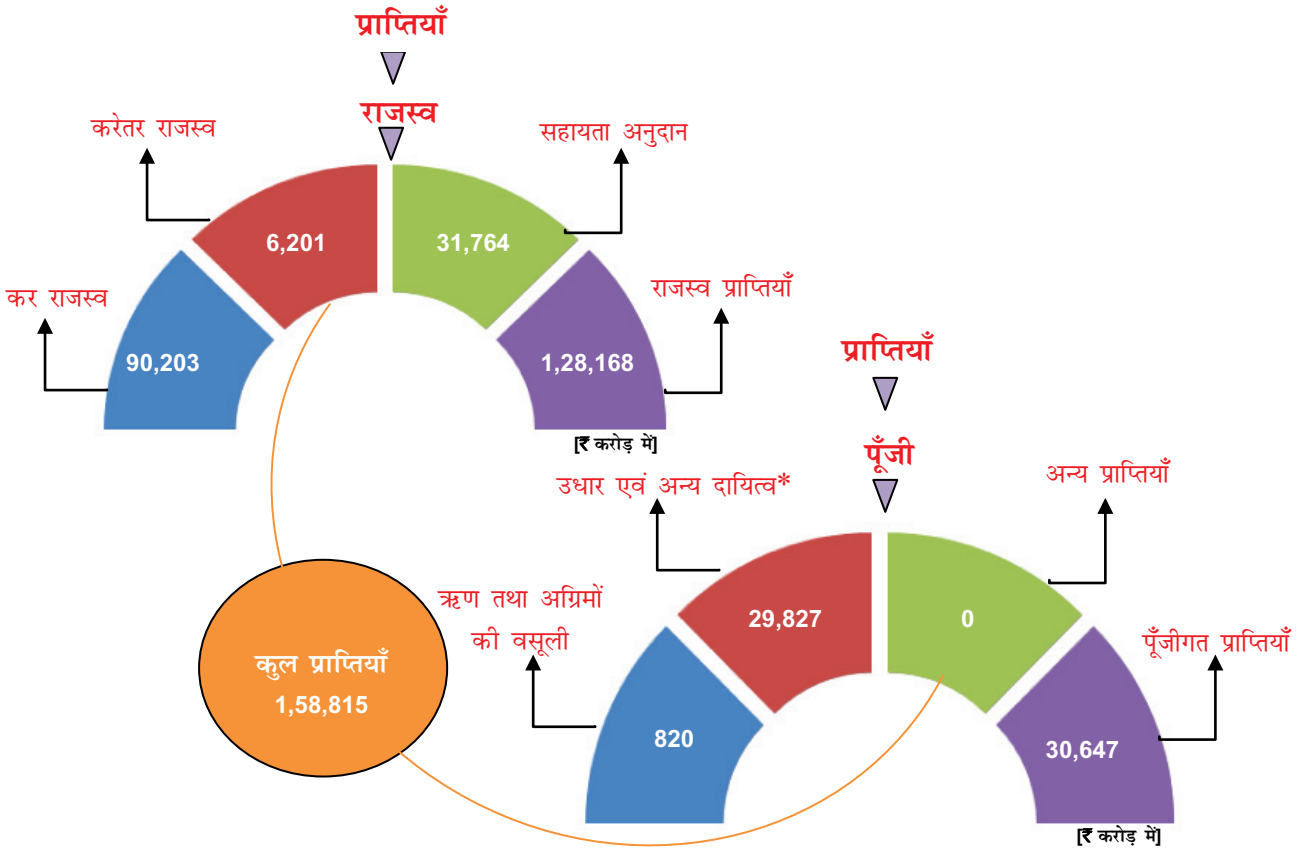

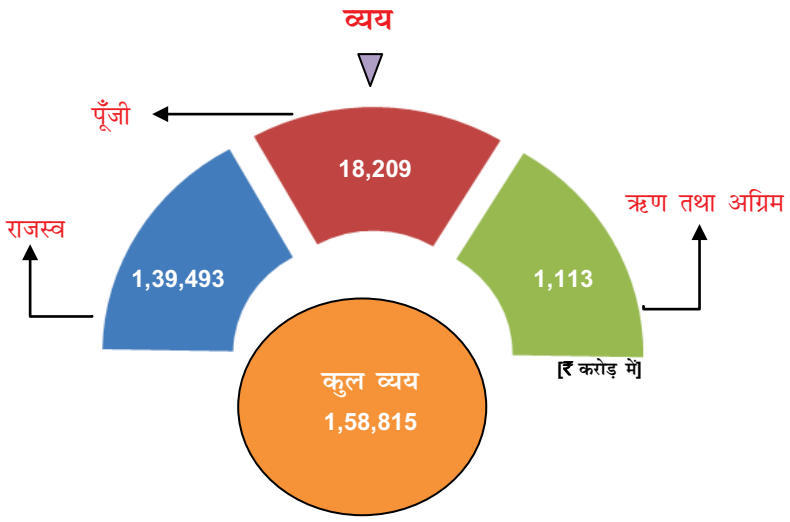

*उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है। बिहार सरकार के बजट में 51 अनुदान/विनियोग है । विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है।

विनियोग अधिनियम, 2020-21 द्वारा ₹2,45,522 करोड़ का सकल व्यय और ₹0.01 करोड़ का व्यय में कमी (वसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹1,67,915 करोड़ और व्यय में कमी ₹2,219 करोड़ हुआ। परिणामतः शुद्ध निवल बचत ₹77,607 करोड़ (31.61 प्रतिशत) हुआ और व्यय में कमी के रूप में ₹2,219 करोड़ का कम आकलन किया गया। सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹4,834 करोड़ सम्मिलित है जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹4,834 करोड़ से संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्र अप्राप्त रहने के कारण अभी तक लंबित है।

1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया।

1.4.2 रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) तब लिया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बरकरार रखने की सीमा जो ₹1.73 करोड़ है में अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के बाद भी कमी आती है। वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार सरकार ने न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिये कायम रखा।

1.4.3 निधि प्रवाह का विवरण

राज्य का राजस्व घाटा ₹11,325 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹29,827 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 1.83 प्रतिशत और 4.82 प्रतिशत को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 18.78 प्रतिशत है। इस घाटे को लोक ऋण (₹29,035 करोड़) में वृद्धि, लोक लेखे ₹506 करोड़ में वृद्धि और आदि तथा अंत शेष के निवल ₹286.28 करोड़ से पूरित किया गया। ₹53,958 करोड़ जो राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति (₹1,28,168 करोड़) का लगभग 42.10 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹21,802 करोड़), ब्याज संदाय (₹12,484 करोड़) तथा पेंशन (₹ 19,672 करोड़) पर खर्च किया गया।

निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्रोत	1 अप्रैल 2020 को रिजर्व बैंक प्रारंभिक रोकड़ शेष	588
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,28,168
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	820
	लोक ऋण	35,915
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	2,384
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	2,441
	जमा प्राप्तियाँ	67,691
	सिविल पेशगियाँ पुनर्भुगतान	0
	उचंत लेखा	4,74,080
	प्रेषण	5
	आकस्मिकता निधि	0
	जोड़	**7,12,092**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,39,493
	पूँजीगत व्यय	18,209
	प्रदत्त ऋण	1,113
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	6,880
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	2,218
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	2,089
	जमा राशि से किए गए व्यय	**63,430**
	प्रदत्त सिविल पेशगियाँ	0
	उचंत लेखा	4,79,151
	प्रेषण	(-)793
	31 मार्च 2021 को रिजर्व बैंक रोकड़ अंतशेष	302
	t kM	**7,12,092**

1.4.4 रुपया जहाँ से आया

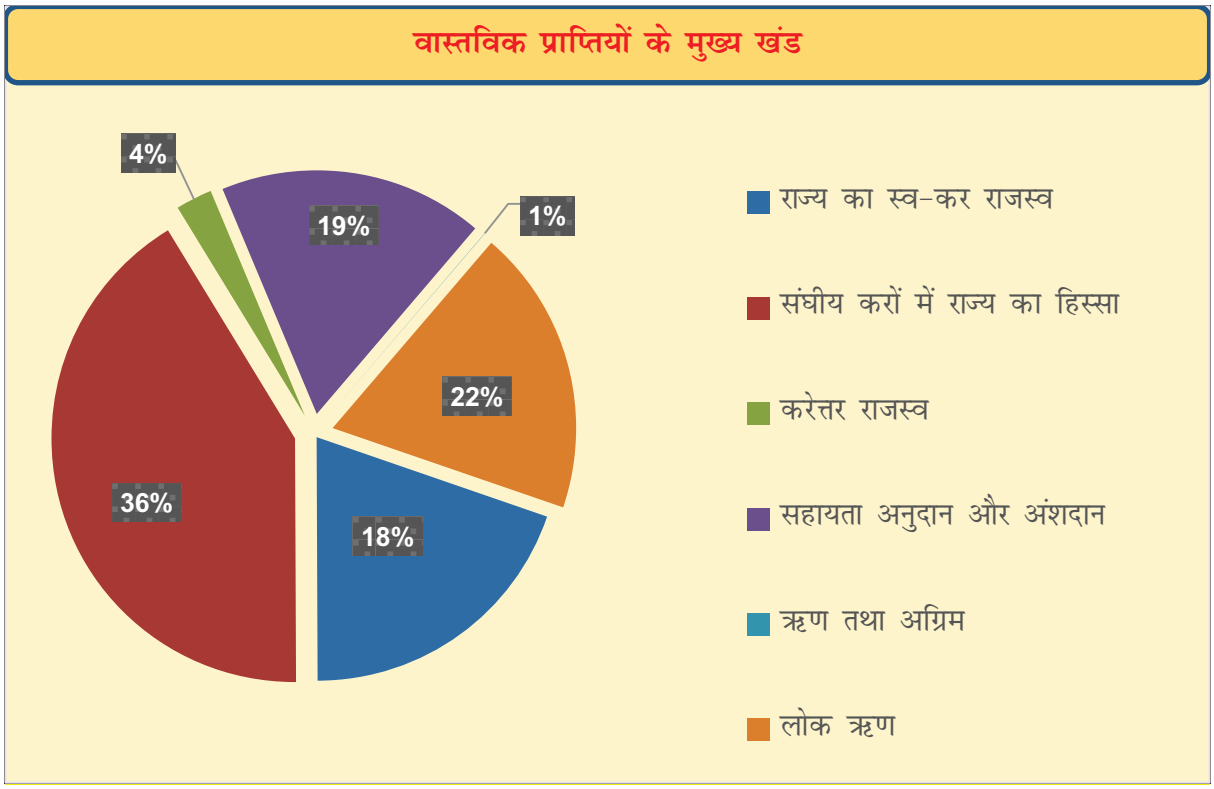

1.4.5 रुपया जहाँ गया

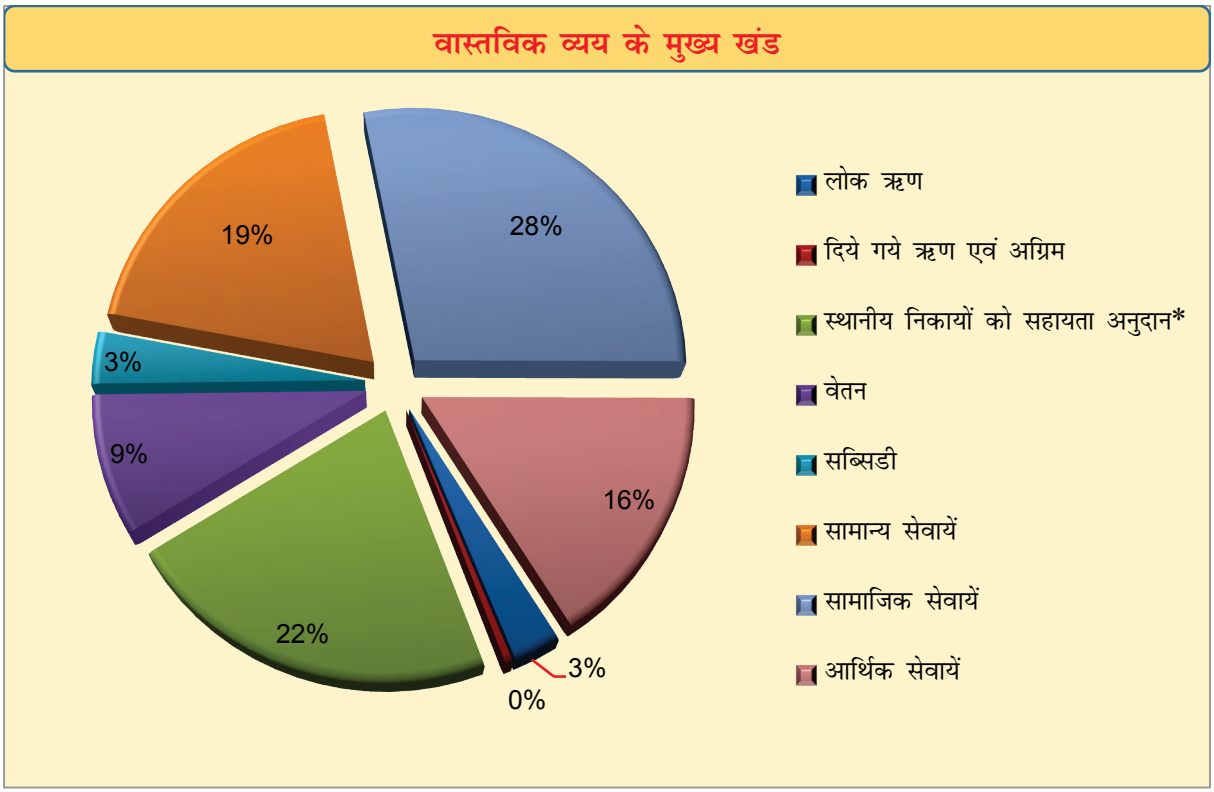

* मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल हैं।

1.5 वर्ष 2020-21 के वित्तीय विशेषताएँ

	बजट अनुमान 2020-21	वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता ($)
	(₹ करोड़ में)			
1. राज्य का स्व-कर राजस्व	34,750	30,342	87	5
2. संघीय करों में राज्य का हिस्सा	91,181	59,861	66	10
3. करेत्तर राजस्व	5,239	6,201	118	1
4. सहायता अनुदान तथा अंशदान	52,754	31,764	60	5
5. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	**1,83,924**	**1,28,168**	**70**	**21**
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	428	820	192	0
8. उधार एवं अन्य दायित्व (A)	20,374	29,827	146	5
9. पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	**20,802**	**30,647**	**147**	**5**
10. कुल प्राप्तियाँ (5+9)	**2,04,726**	**1,58,815**	**78**	**26**
11. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (*)	98,960	95,411	96	16
12. राजस्व लेखा	98,784	95,292	96	16
13. 12 के व्यय में से ब्याज अदायगी	12,925	12,484	97	2
14. पूँजीगत लेखा	176	119	68	0
15. स्कीम व्यय (*)	1,05,766	63,404	60	10
16. राजस्व लेखा	65,967	44,201	67	7
17. पूँजीगत लेखा	39,799	19,204	48	3
18. कुल व्यय (11+15)	**2,04,726**	**1,58,815**	**78**	**26**
19. राजस्व व्यय (12+16)	**1,64,751**	**1,39,493**	**85**	**23**
20. पूँजीगत व्यय (14+17) (#)	**39,975**	**19,323**	**48**	**3**
21. राजस्व आधिक्य/ घाटा (5-19)(@)	**19,173**	**11,325**	**59**	**2**
22. राजकोषीय घाटा (5+6+7-18)(@)	**20,374**	**29,827**	**146**	**5**

($) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का आँकड़ा ₹6,18,628 करोड़ बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) से प्राप्त सूचना से लिया गया है।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹18,209 करोड़), संवितरित कर्ज एवं अग्रिम (₹1,113 करोड़) सम्मिलित है।

(*) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत ₹104 करोड़ तथा स्कीम व्यय के अंतर्गत ₹1,010 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है।

(A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल।

(@) राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे की गणना में उदय अंतर्गत व्यय शामिल है।

घाटा और आधिक्य क्या निरूपित करता है ?

घाटा	राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। राज्य सरकार के वर्त्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांतत: इसे राजस्व प्राप्ति से पूरित होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए यह अंतर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांतत: उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए।

1.6 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बीएफ०आर०बी०एम०) अधिनियम, 2006

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बीएफआरबीएम) अधिनियम, 2006 की धारा 9 के संदर्भ में, बिहार सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य बजट के साथ मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति और रणनीति विवरण प्रस्तुत किया। अधिनियम में उल्लिखित लक्ष्य और लेखाओं में यथा वर्णित वर्ष 2020-21 में उपलब्धियां इस प्रकार है:

क्र.सं.	लक्ष्य	लेखाओं और जीएसडीपी के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ
1	वर्ष 2007-08 में राजस्व आधिक्य प्राप्त करना और उसके बाद आधिक्य को बनाए रखना	वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य का राजस्व घाटा ₹11,325.11 करोड़ (जीएसडीपी का 1.83 प्रतिशत) है।
2	जीएसडीपी की वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 2.97 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्या-674 दिनांक-20.09.2021 द्वारा सूचित किया कि वित्तीय घाटे की सीमा वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए जीएसडीपी के 5.00 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹29,827.25 करोड़ है जो कि जीएसडीपी का 4.82 प्रतिशत है।
3	जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में व्यक्त बकाया ऋण वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी के 23.90 प्रतिशत से कम होगा (राज्य सरकार ने अपने समसंख्यक पत्र दिनांक-20.09.2021 द्वारा सूचित किया कि बकाया ऋण की सीमा को 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा से बढ़ाकर जीएसडीपी का 41.20 प्रतिशत कर दिया गया है।	वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण और बकाया देनदारियां (₹2,27,195.49 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुमान का 36.73 प्रतिशत थी।
4.	प्राथमिक घाटा	प्राथमिक घाटा ₹17,343.23 करोड़ है।

₹29,827.25 करोड़ के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (i) आंतरिक ऋण (बाजार से उधार, वित्तीय संस्थान से ऋण आदि) ₹23,475.40 करोड़ (ii) केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम ₹5,559.18 करोड़ (iii) लघु बचत, भविष्य निधि आदि ₹166.29 करोड़ (iv) जमा और अग्रिम ₹4,260.97 करोड़ (v) निक्षेप निधियां और आरक्षित निधियां ₹351.79 करोड़ (vi) उचंत और विविध ₹ (-) 4,833.20 करोड़ (vii) प्रेषण ₹798.44 करोड़ (viii) नकद शेष ₹ (-) 286.28 करोड़ के द्वारा किया गया था। सरकार के कुल ऋण और अन्य दायित्वों को ₹237.91 करोड़ के नकद शेष निवेश से कम किया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए सांख्यकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से उपलब्ध बिहार की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) ₹6,18,628.00 करोड़ है। बकाया ऋण में सभी ऋण और देनदारियां शामिल है।

1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)

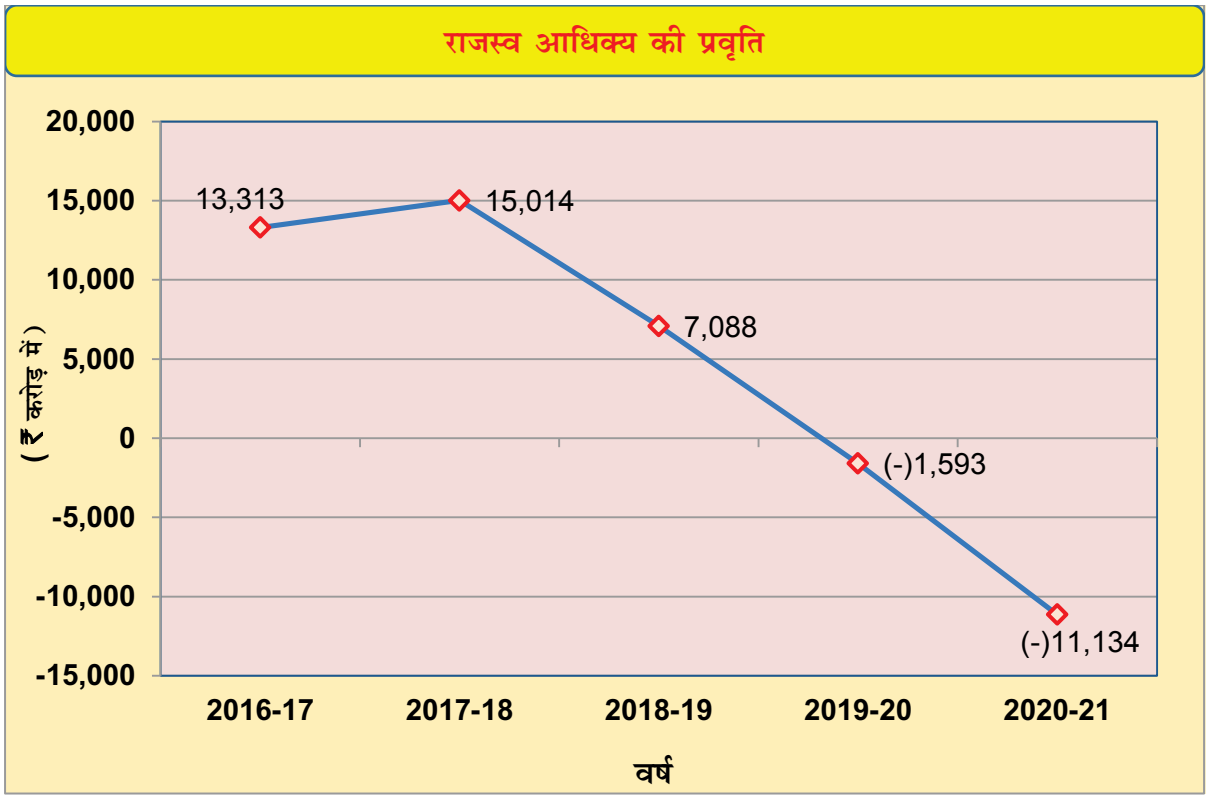

1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)

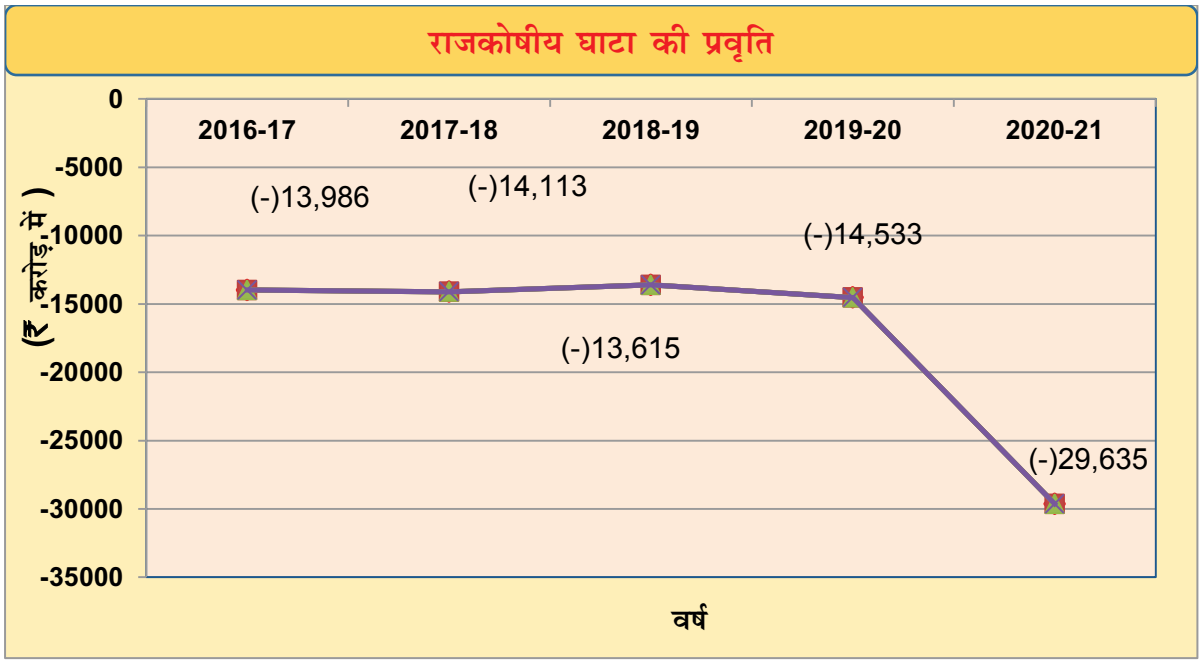

1.6.3 उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात

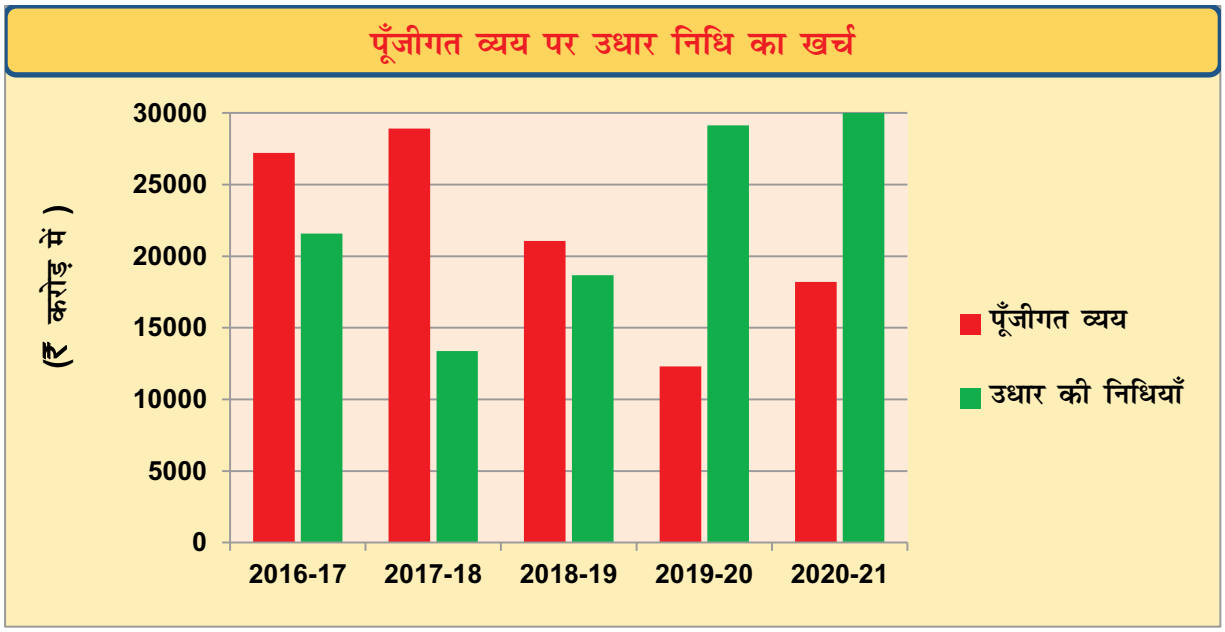

यह वांछनीय है कि पूँजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से पूर्णतः वित्त पोषित हो तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹18,209 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹35,915 करोड़) और राजस्व घाटा (₹11,325 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है।

अध्याय II

प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹1,58,815 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित है।
सहायता अनुदान	संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त संघ सरकार के माध्यम से विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य सहायता अनुदान एवं सहायता, सामग्री तथा उपस्कर सम्मिलित हैं।

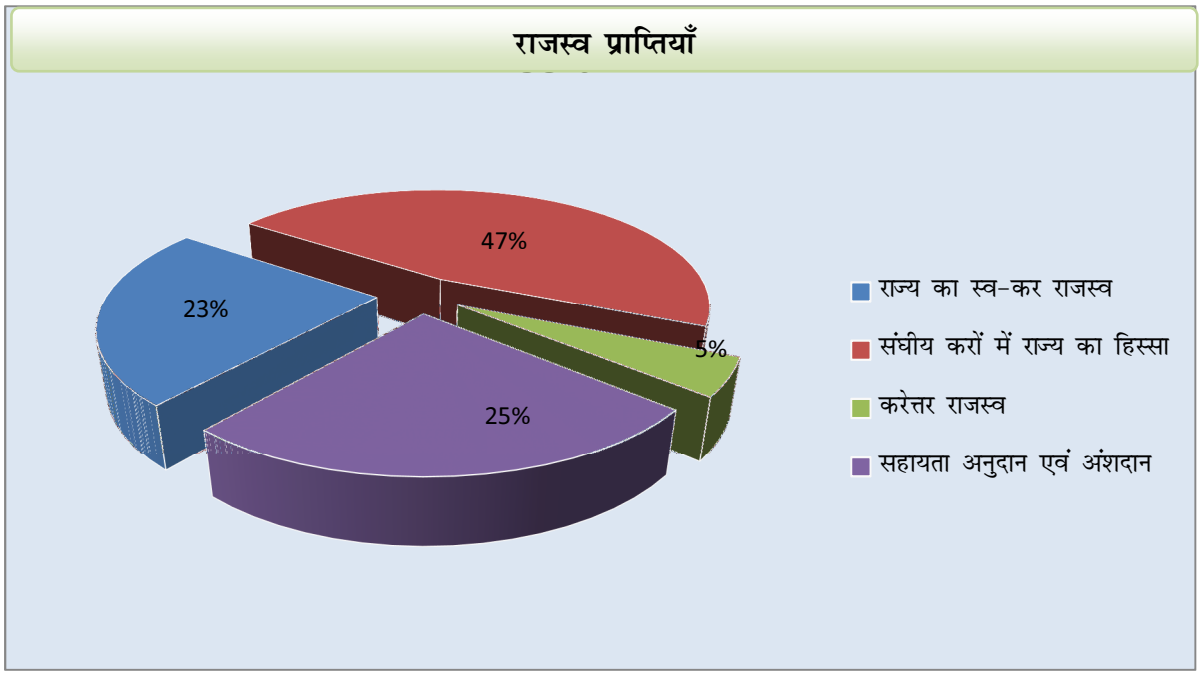

राजस्व प्राप्ति के घटक (2020-21)

(₹ करोड़ में)

	घटक	वास्तविकी
क.	**कर राजस्व**	**90,203**
	राज्य का स्व-कर राजस्व	**30,342**
	वस्तु और सेवा कर	16,050
	आय तथा व्यय पर कर	126
	सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	4,508
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	9,658
	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	**59,861**
	वस्तु और सेवा कर	17,789
	आय तथा व्यय पर कर	36,579
	सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	0
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	5,493
ख.	**करेत्तर राजस्व**	**6,201**
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	3,844
	सामान्य सेवायें	309
	सामाजिक सेवायें	79
	आर्थिक सेवायें	1,969
ग.	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**	**31,764**
	कुल- राजस्व प्राप्तियाँ	**1,28,168**

2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कर राजस्व	82,623 (19)	88,220 (18)	1,03,011 (18)	93,564 (15)	90,203 (15)
करेत्तर राजस्व	2,403 (0.56)	3,507 (0.72)	4,131 (0.74)	3,700 (0.60)	6,201 (1)
सहायता अनुदान	20,559 (5)	25,720 (5)	24,652 (4)	26,969 (4)	31,764 (5)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,585 (25)	1,17,447 (24)	1,31,794 (24)	1,24,233 (20)	1,28,168 (21)
स०रा०घ०उ०	4,25,888	4,87,628	5,57,490	6,11,804	6,18,628

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

यद्यपि वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 1% की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में 3.17% की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कर राजस्व में 4% की कमी तथा करेतर राजस्व में 68% की वृद्धि हुई। करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: निम्न के अंतर्गत अधिक संग्रहण के कारण हुई:

- 'ब्याज प्राप्तियाँ' (₹3,242 करोड़),
- 'अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग' (₹1,709 करोड़),
- 'पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियाँ' (₹2 करोड़) तथा
- 'लोक सेवा आयोग' (₹87 करोड़)।

इसके अलावा वर्ष 2020-21 में 'शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति' तथा 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' के तहत संग्रहण क्रमश: ₹12 करोड़ तथा ₹42 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2019-20 में इनके विरूद्ध संग्रहण क्रमश: ₹17 करोड़ तथा ₹48 करोड़ था। राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत 'स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क' (₹4,206 करोड़) और 'वाहन कर' (₹2,268 करोड़) में वृद्धि का रूझान देखा गया।

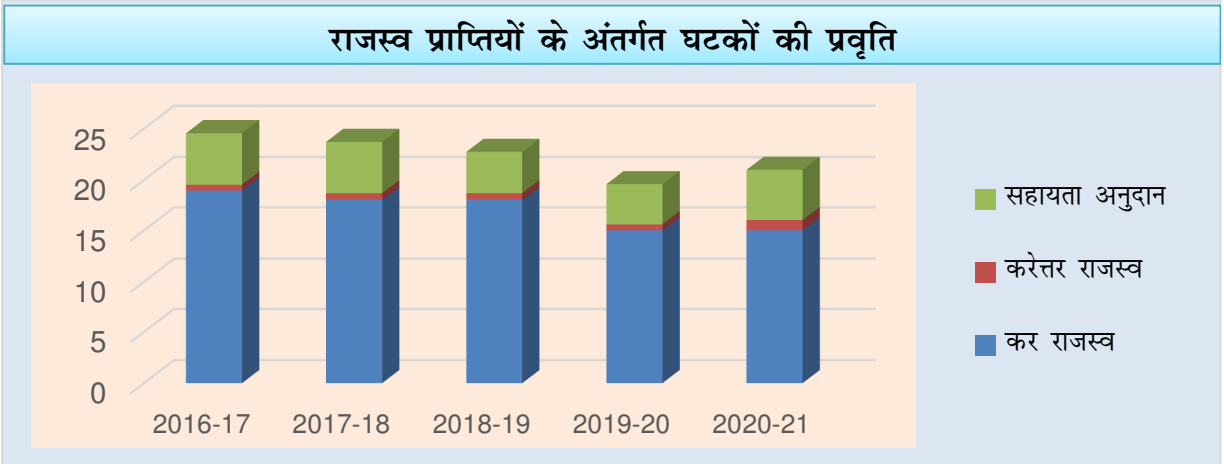

खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वस्तु और सेवा कर	0	14,244	34,905	33,794	33,839
आय तथा व्यय पर कर	32,097	36,857	44,573	38,673	36,705
संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	3,996	4,503	4,675	4,937	4,508
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	46,530	32,616	18,688	16,160	15,151
कुल- कर राजस्व	**82,623**	**88,220**	**1,03,011**	**93,564**	**90,203**

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: 'वस्तु और सेवा कर' (₹33,839 करोड़), 'निगम कर' (₹18,062 करोड़), 'आय पर निगम कर से भिन्न कर' (₹18,517 करोड़), तथा 'वाहन कर' (₹302 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है।

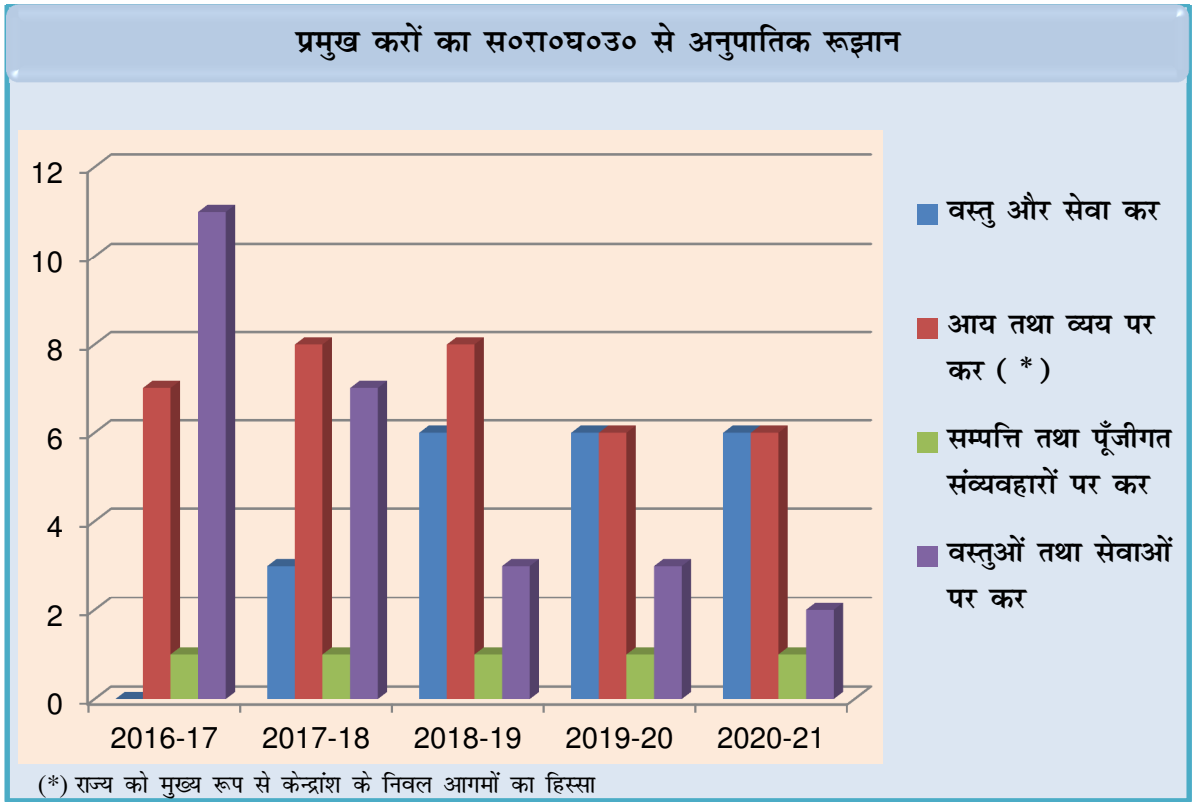

2.4 राज्य का स्व-कर एवं संघीय करों का राज्यांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों का राज्यांश	राज्य का स्व-कर राजस्व	
			राशि	स०रा०घ०उ० की प्रतिशतता
2016 - 17	82,623	55,881	23,742	5.57%
2017 - 18	88,220	65,083	23,137	4.74%
2018 - 19	1,03,011	73,603	29,408	5.27%
2019 - 20	93,564	63,406	30,158	4.93%
2020 - 21	90,203	59,861	30,342	4.90%

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के स्व-कर राजस्व का अनुपात प्रत्यक्ष रूप से 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित लक्ष्य 6.40% से कम है। जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ''संघीय करों का राज्यांश'' 2016-17 के 15.28% से घटकर 2020-21 में 9.78% हो गया है, उसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ''राज्य के स्व-कर राजस्व'' 5.57% से घटकर 4.90% रह गया है।

2.4.1 विगत पाँच वर्षों में राज्य के स्व-कर संग्रहण की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

कर	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बिक्री और व्यापार आदि पर कर	11,873	8,298	6,584	6,121	6,031
राज्य वस्तु और सेवा कर	0	6,747	15,288	15,801	16,050
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2,982	3,726	4,189	4,661	4,206
माल तथा यात्री कर	6,246	1,645	399	23	6
वाहन कर	1,257	1,599	2,086	2,713	2,268
भू राजस्व	971	778	477	275	302
आय तथा व्यय पर अन्य कर	79	87	125	114	126
राज्य उत्पाद शुल्क	29	(-)3	(-)10	(-)4	(-)4
अन्य	305	260	270	454	1,357
राज्य का कुल स्व-कर	**23,742**	**23,137**	**29,408**	**30,158**	**30,342**

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. वस्तु और सेवा कर

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व संग्रहण	0	14,244	34,905	33,794	33,839
संग्रहण पर व्यय	0	72	114	121	131
कर संग्रहण की दक्षता	0	0.5%	0.32%	0.36%	0.39%

ख. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व संग्रहण	3,996	4,503	4,675	4,937	4,509
संग्रहण पर व्यय	477	564	583	290	704
कर संग्रहण की दक्षता	12%	13%	12%	6%	16%

ग. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व संग्रहण	46,530	32,615	18,726	16,160	15,150
संग्रहण पर व्यय	256	289	269	326	324
कर संग्रहण की दक्षता	0.55%	0.89%	1.43%	2.02%	2.14%

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है।

2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वस्तु और सेवा कर	0	7,497	19,617	17,993	17,789
निगम कर	18,889	19,936	25,597	21,619	18,062
निगम कर से भिन्न आय पर कर	13,128	16,834	18,851	16,940	18,517
संपत्ति कर	43	(-)1	9	1	0
सीमा शुल्क	8,126	6,570	5,217	4,019	3,180
संघ उत्पाद शुल्क	9,279	6,868	3,467	2,794	2,012
सेवा कर	9,416	7,379	673	0.00	258
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	--	--	171	40	43
संघीय करों का राज्यांश	**58,881**	**65,083**	**73,603**	**63,406**	**59,861**
कुल राजस्व कर	**82,623**	**88,220**	**1,03,011**	**93,564**	**90,203**
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	**71**	**74**	**71**	**68**	**66**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष संघीय करों का प्रतिशत	**14**	**13**	**13**	**10**	**10**

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, वित्त आयोग अनुदान तथा राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹31,764 करोड़ थी, जो निम्नवत है:-

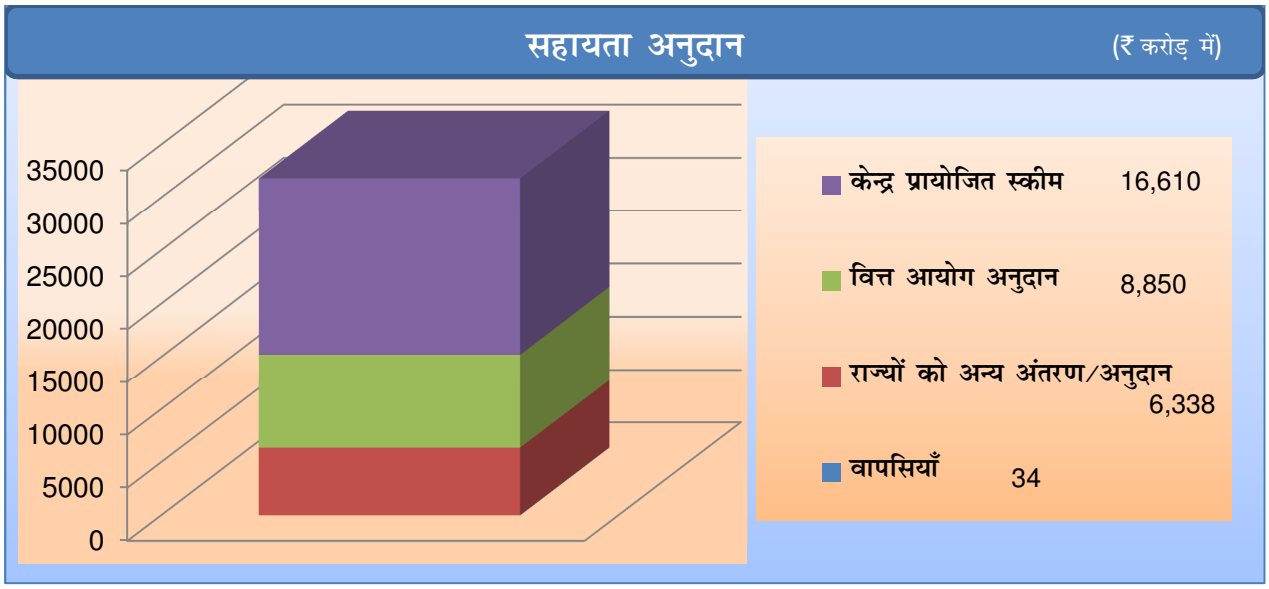

सहायता अनुदान वर्ष 2019-20 के तुलना में 2020-21 में बढ़कर 17.78 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदान के बजट अनुमान ₹52,754 करोड़ के विरूद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹31,764 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया (बजट अनुमान का 60 प्रतिशत)।

2.8 लोक ऋण

लोक ऋण में आंतरिक ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित होते हैं। आंतरिक ऋण में, बाजार कर्ज, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, वित्तीय संस्थानों से कर्ज तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि को जारी विशेष बंध पत्र सम्मिलित होते है।

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आंतरिक ऋण	16,604	7,930	9,835	21,722	23,475
केन्द्रीय कर्ज	758	586	1,603	313	5,559
कुल लोक ऋण	17,362	8,516	11,438	22,035	29,035

नोट - ऋणात्मक आँकड़े प्राप्तियों से अधिक भुगतान किए जाने को दर्शाते हैं।

वर्ष 2020-21 में, कुल ₹27,285 करोड़ के छह ऋण जो वर्ष 2030-31 में विमुक्त योग्य होंगे, को ब्याज दर 4.52 प्रतिशत से 9.84 प्रतिशत के बीच के सममूल्य पर लिए गये।

2020-21 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹29,412 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹6,503 करोड़ के जोड़ के विरूद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹18,209 करोड़ था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया।

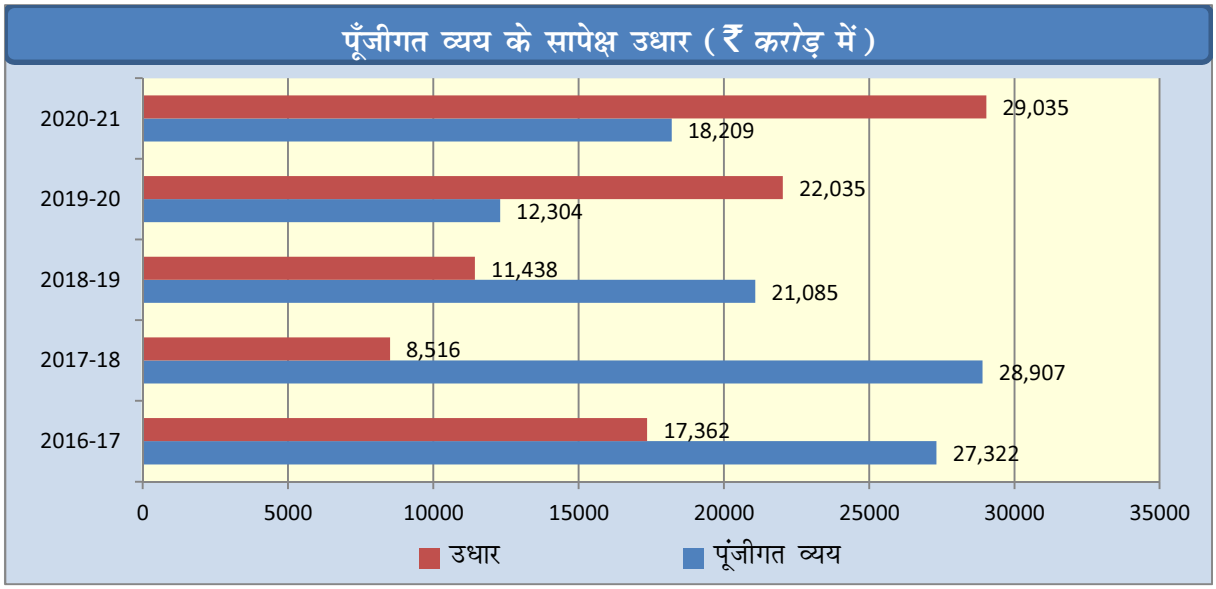

अध्याय III

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय का अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के वर्तमान उपभोग तथा विभागीय गैर-पूंजीगत गतिविधियों के स्थापना व्यय से है। पूँजीगत व्यय भौतिक एवं स्थाई प्रकृति की नई परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा वर्त्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के लक्ष्य से किया गया व्यय है। इसमें निवेश भी शामिल होता है जिससे वर्ष के बाद निवेश पर लाभ प्राप्त होता है।

सामान्य सेवायें	सामान्य प्रशासन, न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवायें	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व व्यय ₹1,39,493 करोड़ बजट अनुमान से ₹25,258 करोड़ कम था। वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का 23 प्रतिशत था। स्कीम व्यय के अन्तर्गत ₹21,766 करोड़ तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत ₹3,492 करोड़ का कम खर्च हुआ। विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अंतर्गत बजट अनुमानों के विरूद्ध व्यय में कमी निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बजट अनुमान	1,09,941	1,22,603	1,36,740	1,55,230	1,64,751
वास्तविकी व्यय	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493
अन्तर	15,176	19,979	11,843	29,213	25,258
बजट अनुमान से अंतर का %	16	16	9	19	15

राज्य उपलब्ध संसाधनों के बाद भी बजट का व्यय नहीं कर सका। बजटीय व्यय से वास्तविक व्यय के मध्य प्रतिशत अंतर 22 था जो विकास हेतु व्यय की गति बढ़ाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2020-21)

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
क. सामान्य सेवायें	46,239	33
ख. सामाजिक सेवायें	63,808	46
ग. आर्थिक सेवायें	29,444	21
घ. सहायता अनुदान तथा अंशदान	2	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**1,39,494**	**100**

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2016-20)

(₹ करोड़ में)

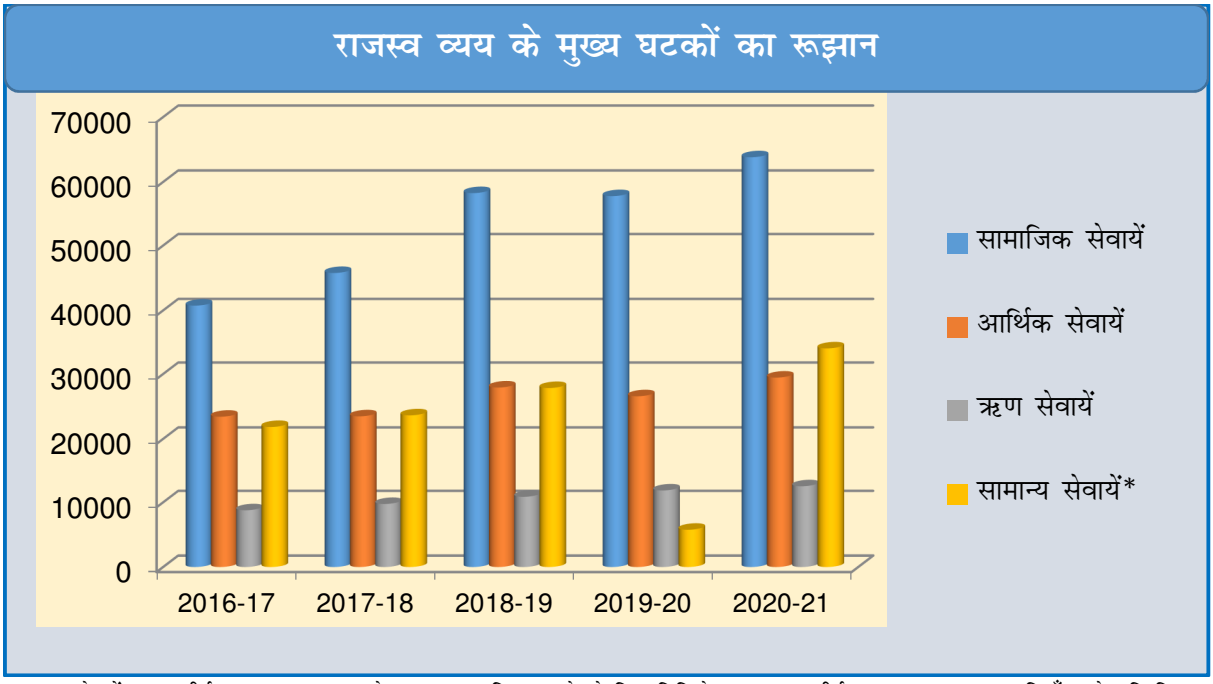

*सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष- 2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष- 2049 (ब्याज अदायगियाँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष- 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को सम्मिलित करता है।

3.3 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2020-21 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹19,323 करोड़ था जो जीएसडीपी का 3 प्रतिशत था। यह बजट अनुमान से ₹20,652 करोड़ कम था।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹1,476 करोड़ (वृहद् सिंचाई पर ₹1,219 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹257 करोड़) और ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹1,126 करोड़ व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/ कम्पनियों/समितियों में ₹1,220 करोड़ निवेश किया गया।

क्रम सं०	क्षेत्र	राशि (₹करोड़ में)	प्रतिशतता
1.	**सामान्य सेवायें**- पुलिस, भू-राजस्व आदि।	1,387	7
2.	**सामाजिक सेवायें**- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि।	6,332	33
3.	**आर्थिक सेवायें-** कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि।	10,491	54
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	1,113	8
	कुल	**19,323**	**100**

3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	सामान्य सेवायें	2,090	2,765	3,311	2,388	1,387
2.	समाजिक सेवायें	3,592	4,258	4,061	2,803	6,332
3.	आर्थिक सेवायें	21,526	21,884	13,686	7,113	10,491
4.	ऋण तथा अग्रिम	114	243	1,471	666	1,113
कुल		**27,322**	**29,150**	**22,529**	**12,970**	**19,323**

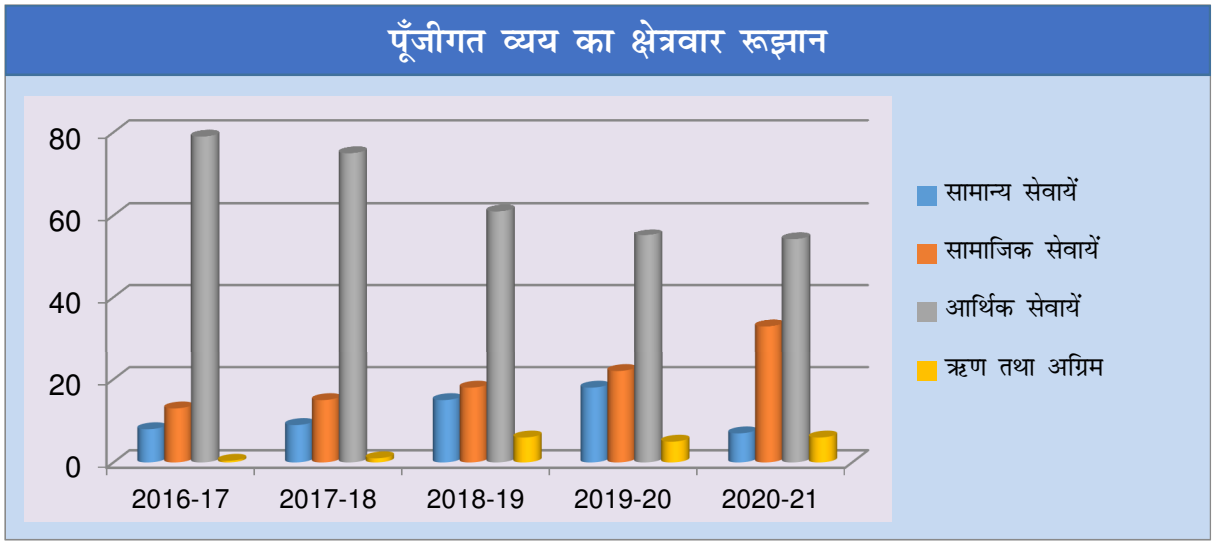

अध्याय IV

स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय

4.1 व्यय का संवितरण (2020-21)

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक व्यय
स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	63,404
स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	95,411

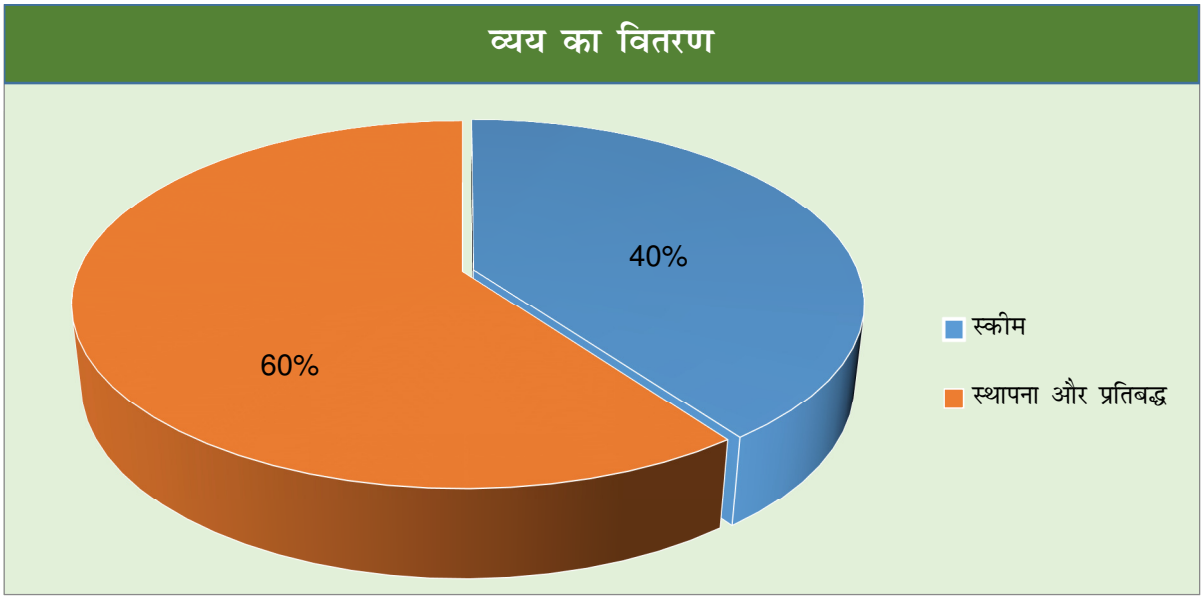

4.2 स्कीम व्यय

वर्ष 2020-21 के दौरान स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹63,404 करोड़ था जो कुल व्यय ₹1,58,815 करोड़ का 40 प्रतिशत था। इसमें राज्य स्कीम के अन्तर्गत ₹27,699 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत ₹34,614 करोड़, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत ₹81 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹1,010 करोड़ सम्मिलित हैं।

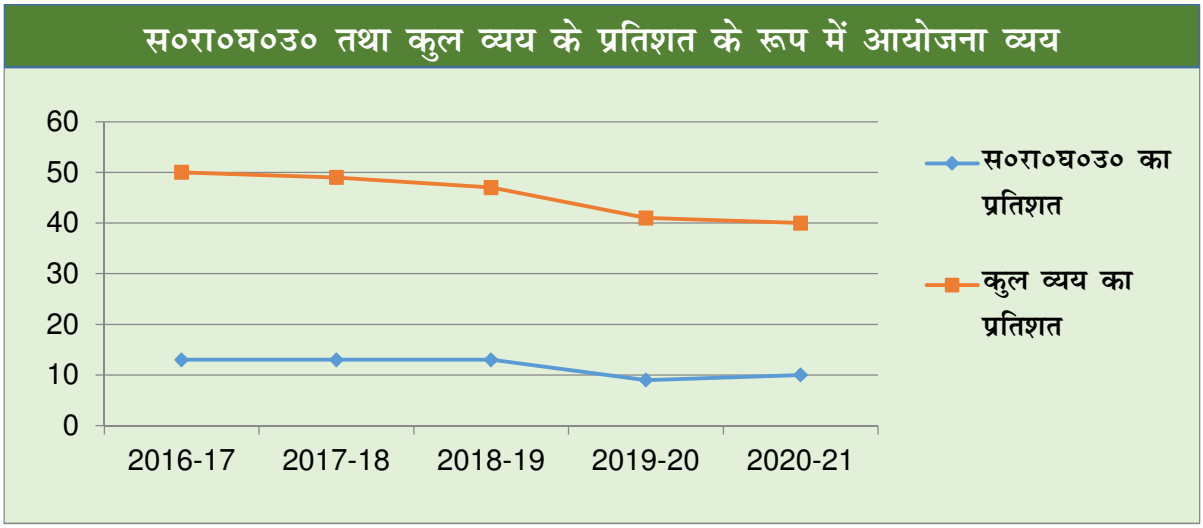

4.2.1 पूँजीगत लेखे के अंतर्गत स्कीम व्यय

(₹करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल पूँजीगत व्यय	27,322	29,150	22,529	12,970	19,323
पूँजीगत व्यय (आयोजना)	27,264	29,076	22,407	12,863	19,204
कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत	99	99	99	99	99

4.3 स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2020-21 के दौरान स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय ₹95,411 करोड़ था, कुल व्यय ₹1,58,815 करोड़ का 60 प्रतिशत था। इस में राजस्व के अंतर्गत ₹95,292 करोड़, पूँजी के अंतर्गत ₹15 करोड़ तथा ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹104 करोड़ सम्मिलित हैं।

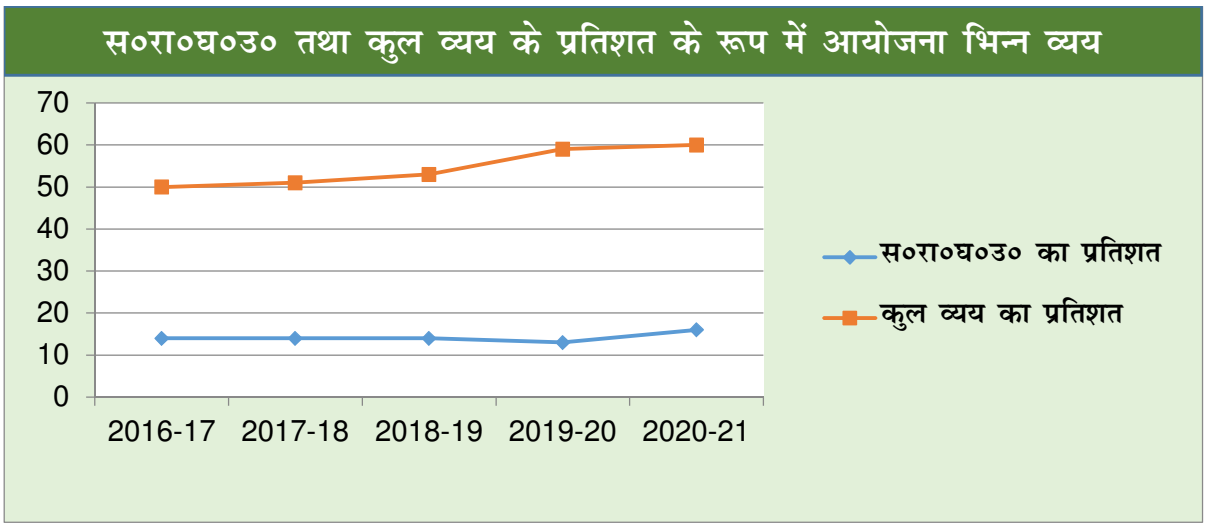

4.4 वचनबद्ध व्यय

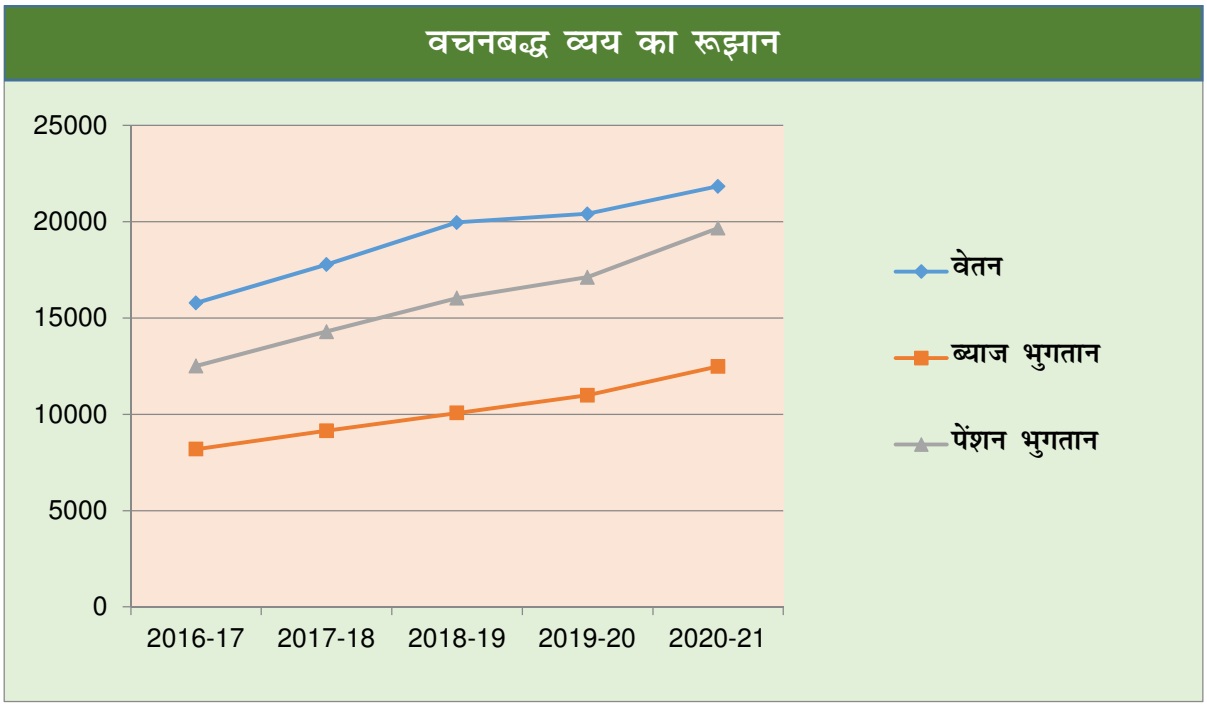

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वचनबद्ध व्यय	36,483	41,220	46,077	48,529	53,998
राजस्व व्यय	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493
राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,585	1,17,447	1,31,794	1,24,233	1,28,168
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	35	35	35	39	39
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	38	40	37	38	42

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	1,50,590	28,623	6,021	1,79,213	1,28,879	(-)50,334
	प्रभारित	14,161	34	973	14,195	12,687	(-)1,508
2.	पूँजीगत						
	दत्तमत	38,745	4,587	6,106	43,332	18,355	(-)24,977
	प्रभारित	--	--	--	--	--	--
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	7,035	18	0	7,053	6,880	(-)173
4.	ऋण तथा अग्रिम						
	दत्तमत	1,230	499	0	1,729	1,114	(-)615
कुल-		**2,11,761**	**33,761**	**13,100**	**2,45,522**	**1,67,915**	**(-)77,607**

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2016-17	(-)30,563	(-)10,194	(-)52	(-)542	(-)41,351
2017-18	(-)35,777	(-)10,051	(-)143	(-)425	(-)46,396
2018-19	(-)37,220	(-)11,415	(-)96	(-)442	(-)49,173
2019-20	(-)50,551	(-)28,442	(-)558	(-)954	(-)80,505
2020-21	(-)51,842	(-)24,977	(-)173	(-)615	(-)77,607

5.3 विशिष्ट बचतें

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत है:-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का प्रतिशत)

अनुदान	नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	कृषि विभाग	43%	44%	43%	41%	56%
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	24%	20%	27%	30%	49%
3	भवन निर्माण विभाग	52%	49%	27%	70%	71%
4	मंत्रीमंडल सचिवालय	21%	40%	38%	51%	64%
5	राज्यपाल सचिवालय	19%	30%	14%	97%	100%
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	35%	30%	32%	39%	57%
9	सहकारिता विभाग	33%	21%	37%	74%	36%
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	39%	20%	23%	12%	76%
12	वित्त विभाग	13%	14%	8%	23%	84%
16	पंचायती राज विभाग	12%	7%	18%	36%	36%
17	वाणिज्य-कर विभाग	25%	45%	27%	26%	33%
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	51%	50%	21%	50%	68%
20	स्वास्थ्य विभाग	39%	25%	24%	31%	31%
21	शिक्षा विभाग	17%	25%	27%	32%	31%
23	उद्योग विभाग	22%	27%	15%	53%	52%
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	24%	50%	56%	24%	38%
26	श्रम संसाधन विभाग	39%	30%	26%	26%	49%
29	खान एवं भूतत्व विभाग	35%	36%	33%	42%	40%
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	12%	49%	42%	51%	55%
35	योजना एवं विकास विभाग	44%	57%	22%	46%	44%
37	ग्रामीण कार्य विभाग	5%	31%	66%	74%	55%

अनुदान	नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	29%	38%	21%	25%	36%
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	46%	37%	32%	42%	53%
41	पथ निर्माण विभाग	12%	12%	9%	70%	45%
42	ग्रामीण विकास विभाग	44%	50%	33%	48%	48%
45	गन्ना उद्योग विभाग	33%	58%	33%	35%	61%
46	पर्यटन विभाग	81%	16%	56%	84%	82%
47	परिवहन विभाग	14%	22%	14%	43%	47%
48	शहरी विकास और आवास विभाग	27%	36%	38%	51%	41%
49	जल संसाधन विभाग	34%	30%	6%	73%	46%
50	लघु जल संसाधन विभाग	42%	39%	19%	69%	39%

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल ₹18,059 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 11 प्रतिशत) जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरूद्ध ही विशिष्ट बचतें हुई तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि विभाग	राजस्व	3103	222	1499
		पूँजी	50	61	0
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	1,179	66	638
3	भवन निर्माण विभाग	पूँजी	4,530	7	1,157
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	380	2	182
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	169	2	74
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,133	241	895
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	1,641	59	413
12	वित्त विभाग	राजस्व	1,300	4	184
		पूँजी	3,912	62	682

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
13	सूद भुगतान	राजस्व	12,925	26	12,484
14	ऋण अदायगियाँ	पूँजी	7,035	18	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	10,135	2,463	8,236
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	1,579	657	728
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	9,129	2,285	8,520
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	33,950	3,178	26,402
		पूँजी	1,241	230	412
22	गृह विभाग	राजस्व	11,602	155	9,472
		पूँजी	481	17	139
23	उद्योग विभाग	राजस्व	657	7	368
		पूँजी	259	43	97
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	124	52	97
		पूँजी	150	17	116
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	860	1	438
27	विधि विभाग	राजस्व	916	35	810
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	182	1	155
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	54	3	34
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	237	95	205
32	विधानमंडल	राजस्व	226	8	182
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	743	58	567
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	812	3	485
		पूँजी	1,290	90	736
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पूँजी	5,250	600	4,707
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	893	470	667
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	5,069	1,347	3,204
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	15,940	1,891	9,299

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	258	18	216
		पूँजी	78	11	72
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	1,721	3	1,270
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	119	1	47
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	62	18	19
		पूँजी	221	8	38
47	परिवहन विभाग	राजस्व	359	42	218
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	7,164	2,179	5,590
		पूँजी	50	200	50
49	जल संसाधन विभाग	पूँजी	2,958	1,076	1,956
51	समाज कल्याण विभाग	पूँजी	20	27	0

अध्याय VI

परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वित्त लेखे सरकार की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

2020-21 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹32,871 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹603.01 करोड़ (अर्थात् 1.83 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश में ₹1,204 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹601.39 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹18,177 करोड़ था तथा जो मार्च 2021 के अंत में घटकर ₹18,128 करोड़ हो गया।

6.2 ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	स०रा०घ०उ० काप्रतिशतता	लोक लेखे (*)	स०रा०घ०उ० काप्रतिशतता	कुलदेयताएँ	स०रा०घ०उ० काप्रतिशतता
2016-17	1,06,191	25	32,531	8	1,38,722	33
2017-18	1,14,707	23	42,070	9	1,56,777	32
2018-19	1,26,145	23	42,776	8	1,68,921	30
2019-20	1,48,180	24	45,202	7	1,93,382	32
2020-21	1,77,215	29	49,981	8	2,27,196	37

(*) उचन्त तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।

टीप : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं।

वर्ष 2019-20 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹33,814 करोड़ (17 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

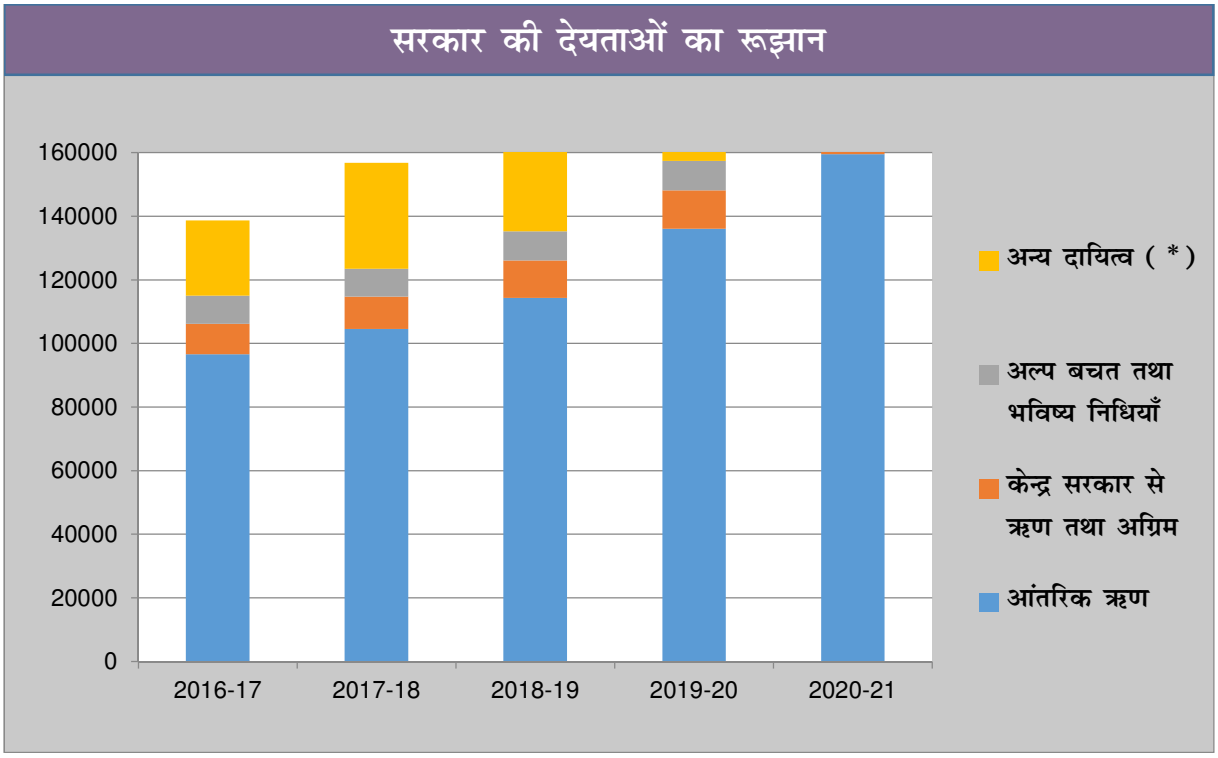

(*) बिना ब्याज वाली दायित्वें जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उदिष्ट निधियाँ इत्यादि।

6.3 गारंटियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों की स्थिति निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत तक	दी गई गारंटी की अधिकतम राशि (मात्र मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2016-17	13,053	4,460	178
2017-18	20,234	5,174	97
2018-19	20,834	5,398	104
2019-20	20,834	5,380	105
2020-21	24,972	16,080	328

अध्याय VII

अन्य विषयें

7.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं। 31 मार्च 2021 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹1,59,557 करोड़ शेष है।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹22,564 करोड़ के कुल ऋण तथा अग्रिम में से ₹21,824 करोड़ सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2021 के अंत तक मूलधन ₹8,562 करोड़ एवं ब्याज ₹11,515 करोड़ बकाए के रूप में वसूली योग्य थे। वर्ष 2020-21 के दौरान मात्र ₹820 करोड़ कर्ज तथा उधार के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹18 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2016-17 में ₹36,209 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹54,929 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 32 प्रतिशत (₹17,683करोड़) जिला परिषदों, नगरपालिकाओं/नगरनिगमों/परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नवत है:-

(₹करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद्	निगम/नगरपालिका/ परिषद	ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति	अन्य*	कुल
2016-17	725	1,700	1,934	31,850	36,209
2017-18	2,612	1,320	4,961	34,466	43,359
2018-19	1,749	1,759	5,769	42,487	51,764
2019-20	1,429	1,271	8,542	35,340	46,582
2020-21	1,760	4,784	11,139	37,246	54,929

*मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है।

7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2020 को	31 मार्च 2021 को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	588	302	(-)286
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार विपत्र)	17,589	17,827	2,797
अन्य रोकड़ शेष			
(क) विभागीय शेष	235	235	0
(ख) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	761	761	0
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	5,740	5,740	0
(क) निपेक्ष निधि	845	0.00	(-)845
(ख) गारंटी उन्मोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियाँ	--	--	--
*** प्राप्त ब्याज**	939	175	(-)764

(*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है।

राज्य सरकार के पास वर्ष 2020-21 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष धनात्मक था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 81.36 प्रतिशत की कमी हुई।

7.5 लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार के लेखे जिन्हें महालेखाकार के कार्यालय में संकलित किया जाता है, मुख्यत: कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों द्वारा समर्पित आरंभिक लेखे पर आधारित होता है। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि कोषागारों के लिए अगामी माह के 5वीं तारीख तथा लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों के लिए 10वीं तारीख है। ससमय लेखे के प्रस्तुत नहीं होने के कारण राज्य सरकार को भेजे गए मासिक लेखे में उस कोषागार को शामिल नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप, लेखे के आँकड़ें माह के वास्तविक व्यय अथवा प्राप्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिससे निर्णय गलत हो सकता है, यदि निर्णय अपूर्ण लेखे के आधार पर लिया गया हो।

वर्ष के दौरान मासिक लेखों में अपवाद को छोड़कर वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया।

7.6 निवेश

राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त उपक्रम कम्पनियों तथा सहकारिता संस्थानों में निवेश करती है। लेखे के अनुसार, सरकार ने 2020-21 के अंत तक ₹32,870.61 करोड़ निवेशित किया है।

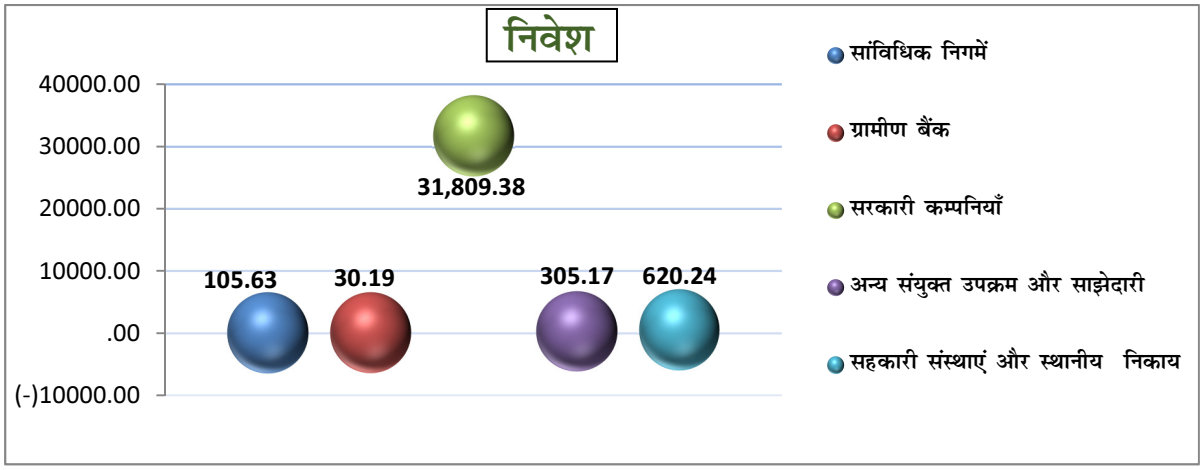

7.7 अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की स्थिति

बिहार कोषागार संहिता के नियम 177 के अनुसार, कोषागार से किसी प्रकार की राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह तत्काल भुगतान के लिए अपेक्षित न हो। यदि विशेष परिस्थिति में धन की अग्रिम निकासी की जाती है, तो इस प्रकार से निकासी की गई राशि के अव्ययित शेष को आगामी विपत्र में कम निकासी करके चालान के माध्यम से, और प्रत्येक मामले में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले, जिसमें उस राशि की निकासी की गई है, कोषागार को वापस लौटा देना चाहिए। 31 मार्च 2021 को इन अनुदेशों के आलोक में ₹184.52 करोड़, जिसे कोषागार को वापस किया जाना चाहिए था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लंबित थे। इसके अतिरिक्त, ₹25.46 करोड़, कार्य प्रमण्डलों में अग्रदाय के रूप में पड़े थे।

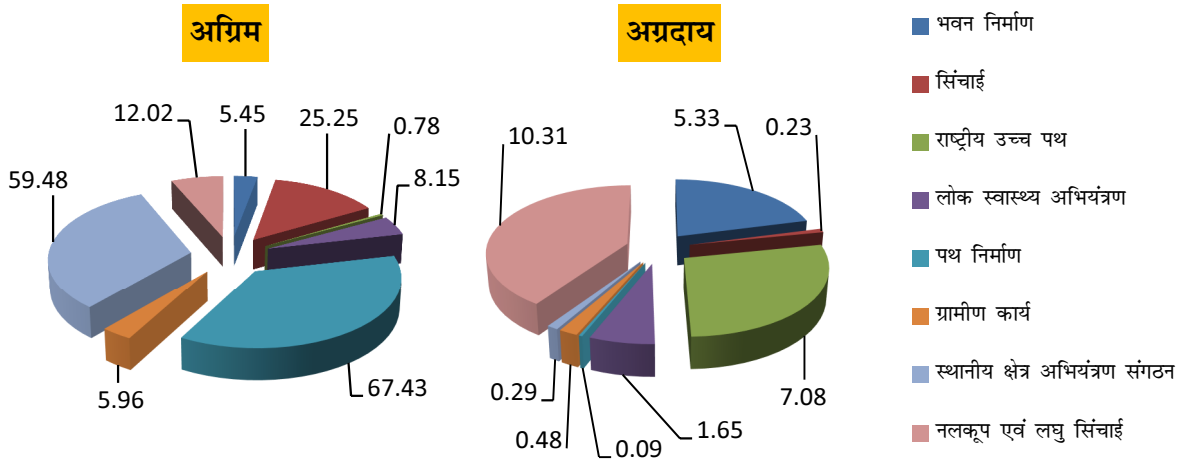

7.8 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र

वित्तीय नियम (बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 177) में यह निदेशित है कि सरकारी कोषागार से तब तक कोई धन नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। आकस्मिक परिस्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) सेवा शीर्षों को डेबिट (नामे) करके संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों के माध्यम से राशि निकालने के लिए प्राधिकृत हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011 के अनुसार, डीडीओ द्वारा जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम लिया गया था उसके पूरा होने की तारीख से छह महीने के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों (वाउचर) सहित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) विपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है और किसी भी हालत में यदि ऐसे अग्रिम के आहरण की तारीख से 180 दिनों की अवधि के उपरांत यदि नहीं जमा किया गया तो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अन्यथा अनुमति आवश्यक है। विलम्ब से जमा करने या लम्बे समय तक समर्थक डीसी विपत्रों को प्रस्तुत न करने से एसी विपत्रों के माध्यम से व्यय अपारदर्शी हो जाता है और वित्त खातों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान निकाले गए ₹4,834.28 करोड़ के 6,308 एसी विपत्रों में से मार्च 2021 में ₹429.32 करोड़ (8.88 प्रतिशत) की राशि के 1,833 एसी विपत्रों की निकासी की गई। 31 मार्च 2021 तक ₹13,459.71 करोड़ की राशि के कुल 26,504 एसी विपत्रों के संबंध में डीसी विपत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

31 मार्च 2021 तक असमायोजित एसी विपत्रों का विवरण जिनके डीसी विपत्रों का समायोजन लंबित था, का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹करोड़ में)

Ok"k	yfcr MhŒlhŒ foi=kk dh l[;k	jkf'k
2018-19 तक	14,507	4,394.37
2019-20	5,689	4,231.06
2020-21	6,308	4,834.28
कुल	**26,504**	**13,459.71**

बिहार कोषागार संहिता 2011 का नियम[1] 194

एसी बिल का बडा हिस्सा लंबित है:-

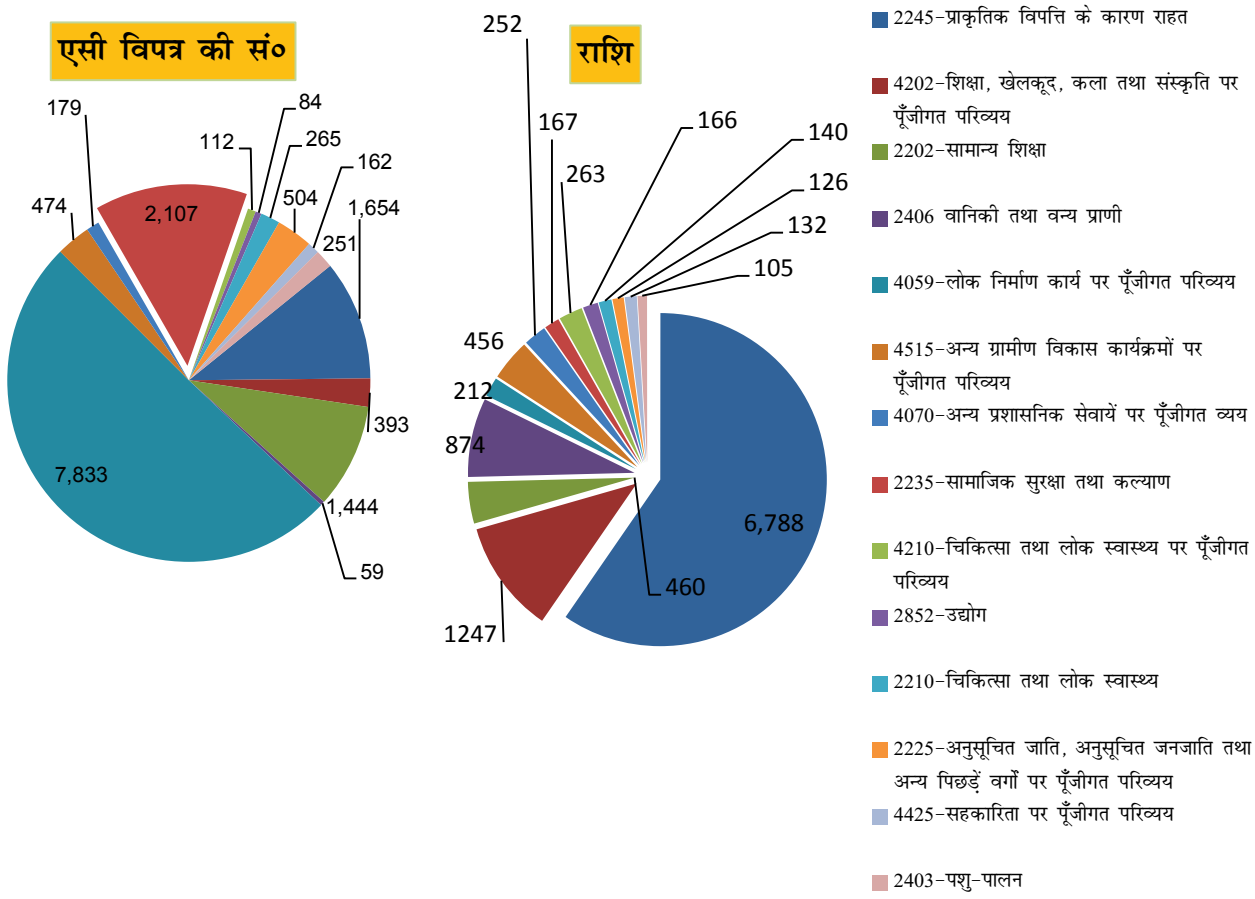

7.9 सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वित्त विभाग के संकल्प सं०-M.04-15/2009-9736/F(2) दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा यथा संशोधित बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) उसकी संस्वीकृति देनेवाले प्राधिकारी को अनुदानग्राही द्वारा अनुदान - प्राप्ति की तारीख से 18 महीनों के भीतर अथवा उसी प्रयोजन पर आगे अनुदान हेतु आवेदन करने के पूर्व, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यूसी न प्रस्तुत करने की स्थिति में इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वित्त लेखे में प्रदर्शित राशि लाभार्थियों तक पहुँच गई थी और इस प्रकार व्यय को सही या अंतिम प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए बकाया यूसी से संबंधित ₹34,409.97 करोड़ समायोजित की गई। 31 मार्च 2021 तक बकाया यूसी की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष (*)	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षित संख्या	राशि
2018-19 तक	2,633	49,853.07
2019-20	645	26,922.62
2020-21	608	15,911.62
जोड़	**3,886**	**92,687.31**

(* उपर्युक्त वर्णित वर्ष ''लंबित वर्ष'' से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात)

मुख्य चूककर्ता विभाग जिसने उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया था उनमें पंचायती राज विभाग (₹26,922.39 करोड़, 29.05 प्रतिशत), शिक्षा विभाग (₹19,212.69 करोड़, 20.73 प्रतिशत), समाज कल्याण विभाग (₹10,941.87 करोड़, 11.81 प्रतिशत), शहरी विकास एवं आवास विभाग (₹10,022.99 करोड़, 10.81 प्रतिशत), ग्रामीण विकास विभाग (₹4,635.73 करोड़, 5.00 प्रतिशत) हैं।

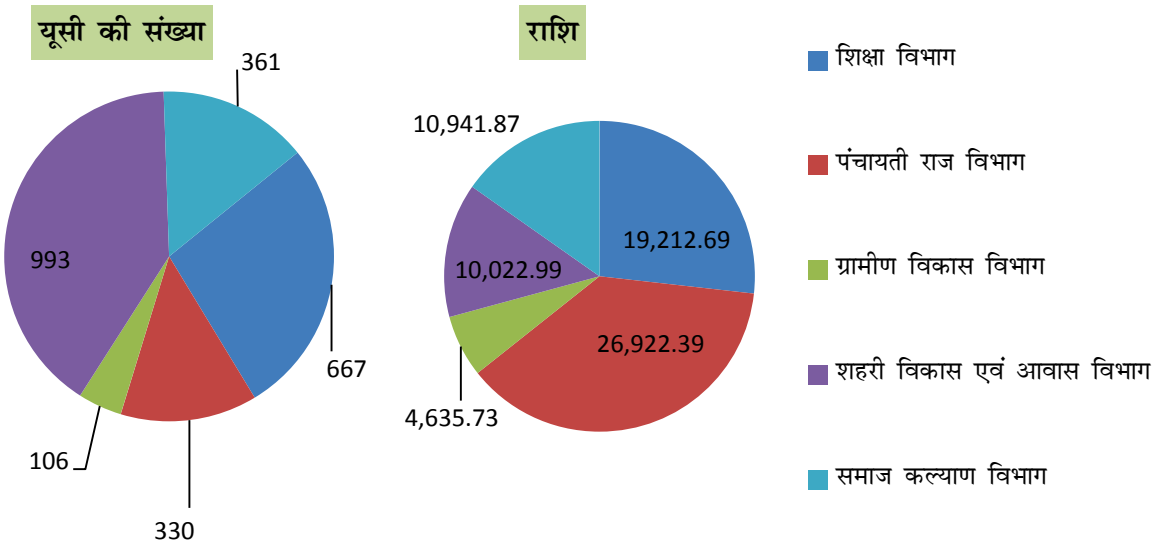

7.10 व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता

व्यक्तिगत जमा खाते नामित आहरण अधिकारियो को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रमुख शीर्ष 8443-सिविल जमा एवं लघु शीर्ष-106 व्यक्तिगत जमा के तहत राज्य की संचित निधि में सेवा शीर्षों को नामें करके और व्यक्तिगत जमा में जमा करके व्यय करने हेतु सक्षम बनाते हैं। पीडी खातों के प्रशासकों को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसे खातों को बंद करना और अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित करना आवश्यक होता है। यद्यपि किसी कोषागार/प्रशासक ने अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में संबंधित सेवा शीर्ष में व्यय की कमी के रूप में वापस स्थानांतरित करने की सूचना नहीं प्रदान की।

वर्ष 2020-21 के दौरान इन पीडी खातों में राज्य की संचित निधि से ₹913.48 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई और चालान के माध्यम से ₹147.51 करोड़ की राशि जमा की गई। इसमें मार्च 2021 में राज्य की संचित निधि से हस्तांतरित ₹623.87 करोड़ (पीडी खाते में कुल जमा का 58.80 प्रतिशत) शामिल है जिसमें से मार्च 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर ₹10.85 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 353 के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को कोषागार में शेष राशि का आवश्यक सत्यापन एवं मिलान करना होगा और हर वर्ष 30 अप्रैल अथवा उससे पूर्व कोषागार अधिकारी को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कोषागार अधिकारी उक्त प्रमाणपत्र को कोषागार अभिलेख से सत्यापित करेगा और ऐसे शेष राशि के सत्यापन की रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) को भेजेगा।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) को केवल 7 पीडी खातों के वार्षिक अंत शेष प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।

31 मार्च, 2021 तक व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

fooj.kh	0;fDrxr tek [kkrk dh l[;k	jkf'k
आदि शेष	157 + 3 (नया उपलब्ध)	3,312.94
सीएफएमएस में माईग्रेट नहीं किये गये	10	1.53
वर्ष के दौरान खोला गया	90	199.17
वर्ष के दौरान बंद	0	0.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	66	1,061.65
वर्ष के दौरान भुगतान	43	563.26
समाप्ति के समय बकाया	247 + 5 (नया उपलब्ध)	3,811.33

वित्त विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या-2916, दिनांक-03.06.2020, द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड 2011 के नियम 349 को संशोधित किया और पहले के तीन वित्तीय वर्षों से खर्च नहीं किए गए धन की अवधि को बाद के पांच वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया और 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी व्यक्तिगत जमा खातों/व्यक्तिगत लेजर खातों को 01.04.2019 से सीएफएमएस प्रणाली के तहत एक डिफॉल्ट के रूप में खोला हुआ मान लिया गया। इस प्रकार, निष्क्रिय और व्यपगत पीडी खातों का निर्धारण तदनुसार किया जाएगा।

7.11 लेखे का मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा ससमय विभागीय आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। यह कार्य विभागों के संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय ₹1,57,702 करोड़ (राजस्व एवं पूँजी) के विरूद्ध मात्र ₹16,818 करोड़ अर्थात् कुल व्यय के 10.66 प्रतिशत तथा कुल प्राप्तियाँ ₹1,28,168 करोड़ (राजस्व एवं पूँजी) के विरूद्ध ₹1,02,151 करोड़ अर्थात् कुल प्राप्ति के 79.98 प्रतिशत का ही मिलान किया गया।

7.12 उचन्त लेखे शेष

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उचन्त लेखे खातें में शेष 2016-17 के ₹4,959 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹15,376 करोड़ हो गया।

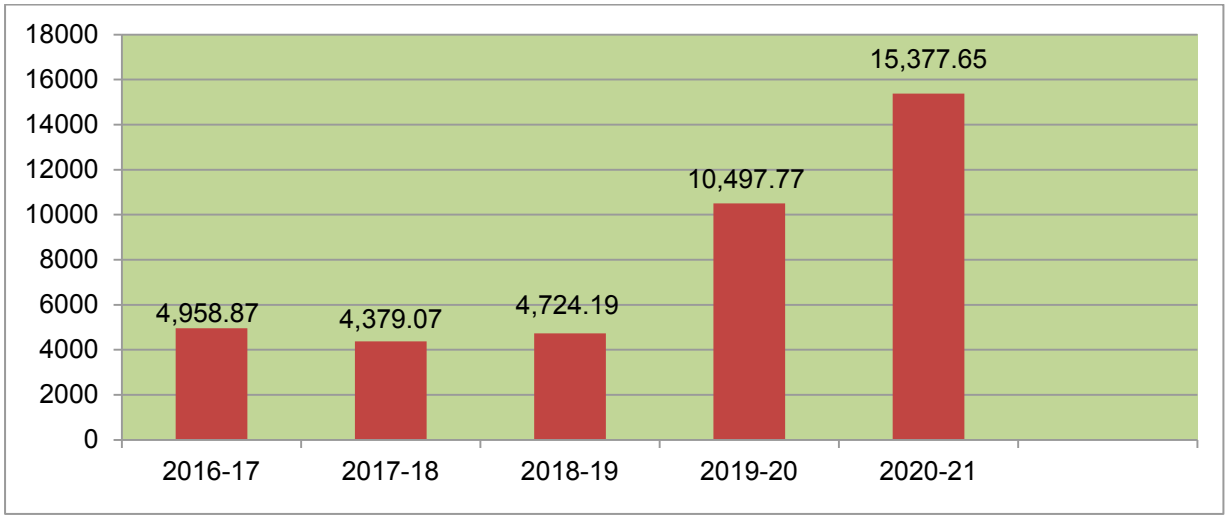

पिछले पाँच वर्षों के उचंत खातें के अंतर्गत शेष का विवरण निम्नलिखित हैं:-

(₹ djkM e)

उचन्त लेखे	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त	296.05	335.27	314.56	289.24	313.90
उचन्त लेखा (सिविल)	4,376.04	3,749.28	3,956.07	9,857.46	14,527.78
नकद परिनिर्धारण उचन्त लेखा	32.29	32.29	32.29	32.29	32.29
रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	265.26	261.88	264.58	274.00	262.63
रिजर्व बैंक उचन्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	370.41	382.10	385.43	299.58	605.60
विभागीय समायोजन लेखा	104.45	104.41	104.41	104.41	104.41
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त	480.28	481.00	328.36	327.70	464.67
सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचन्त लेखा	66.11	66.11	66.11	66.11	66.11

7.13 अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर वचनबद्धता

वित्त लेखे खण्ड II के परिशिष्ट IX के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अर्पूण परियोजनाओं पर मूल अनुमानित खर्च ₹23,281.78 करोड़ के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कुल ₹7,854 करोड़ व्यय किया गया।

'अपूर्ण पूँजीगत कार्यों' पर वचनबद्धता का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

Øe l[;k	dk; foHkkx dk uke	dk; dh vuekfur ykxr	o"k d nkjku 0;;	o"k d nkjku ixkeh 0;;	yfcr Hkxrku	iujh{k.k d Ik'pkr vuekfur ykxr
1	जल संसाधन विभाग	11,497.25	1,568.23	3,182.48	1,677.88	-
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1,911.90	469.18	951.36	676.15	-
3	भवन निर्माण विभाग	6,134.49	1,438.61	2,195.32	3,035.14	-
4	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	182.12	13.45	43.39	28.21	-
5	पथ निर्माण विभाग	3,545.86	743.34	1,476.79	1,231.98	-
6	ग्रामीण कार्य विभाग	10.16	0.84	4.70	4.00	-
tkM		**23,281.78**	**4,233.65**	**7,854.04**	**6,653.36**	**-**

7.14 भारत सरकार लेखांकन मानक (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन

सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से जो निर्णय लेने और सार्वजनिक जवाबदेही की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) ने लेखांकन की नकद प्रणाली के लिए भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) तैयार किया है। आईजीएएस, संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। तदनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी अधिसूचना के बाद प्रभावी तिथि से तीन आईजीएएस अनिवार्य हो गए है।

सरकारों द्वारा दी गई गारंटी- आईजीएएस-1: आइजीएएस-1 के लिए आवश्यक है राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों पर क्षेत्रवार एवं वर्गवार प्रकटीकरण को वित्त लेखाओं में शामिल किया जाए। विवरण 9 और 20 राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा गारंटीकृत राशि पर ब्याज के विवरण को दर्शाते हैं। लेखे पर टिप्पणियों में क्षेत्रवार एवं वर्गवार विवरण को दर्शाया गया है।

आईजीएएस-1 के अनुसार विवरण 9 एवं 20 में प्रतिवेदित गारंटियों का विवरण राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित है।

सहायता अनुदान का लेखा एवं वर्गीकरण- आईजीएएस-2: आईजीएएस-2 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह, पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर सहायता अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसमें संपत्ति का निर्माण शामिल हो। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में आवश्यकताओं को विवरण 10 और परिशिष्ट III में दर्शाया गया है जो आईजीएएस-2 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

सरकार द्वारा दी गयी ऋण तथा अग्रिम- आईजीएएस-3: आईजीएएस-3 को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

वित्त लेखे 2020-21 के विवरण 7 और 18 को आईजीएएस 3 के तहत प्रकटीकरण को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। वित्त लेखाओं के इन विवरणों में प्रतिवेदित ऋण और अग्रिमों का विवरण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को दी गई लेखाओं के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं और सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखाओं पर आधारित है। 31 मार्च 2021 तक विवरण 7 और 18 में वर्णित अंत शेषों का ऋणी संस्थाओं/राज्य सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने कुछ ऐसे ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके लिए वे विस्तृत लेखा-जोखा रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विवरण 7 और 18 में उल्लिखित राशि का मिलान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

शेष राशियों के मिलान हेतु विभागीय/कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखे-खंड-II के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in